अध्याय VI

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां*

6.1 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं का एक अत्यधिक विविधतापूर्ण समूह शामिल है। वे विभिन्न पहलुओं यथा अपने आकार, निगमन और विनियमन के स्वरूप तथा वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के मूलभूत कार्यों के क्षेत्र में भिन्न-भिन्न हैं। अपनी विविधता के होते हुए भी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था में 'विशिष्ट पर लाभप्रद' वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की क्षमता के कारण विशेषताप्राप्त हैं। अपनी संगठनगत नमनीयता में तुलनात्मक रूप से बेहतर होने के कारण अकसर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से ग्राहकों की अपेक्षानुसार तैयारशुदा सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होती हैं। इससे वे छोटे ऋणकर्ताओं से लेकर प्रतिष्ठित कंपनियों तक को अपना ग्राहक-वर्ग बनाने में समर्थ हुई हैं। जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां प्राय: ऐसे वित्तीय नवोन्मेषों में अग्रणी रही हैं जिनसे कि वित्तीय प्रणाली की कार्यदक्षता बढ़ सकती है, वहीं उनकी अनिर्वहनीयता की घटनाएं, जो प्राय: उनकी जमाराशियों पर उच्च ब्याज दरों और समय-समय पर होनेवाली दिवालियापन की स्थिति के कारण, उनकी वित्तीय सक्षमता को सुदृढ़ किये जाने की जरूरत को रेखांकित करती हैं। इस प्रकार, विनियामक चुनौती इस बात में है कि एक ऐसा पर्यवेक्षी ढांचा बनाया जाए जो उनके युक्तिपूर्णचालन और नवोन्मेषिता के मूल तत्व, जोकि इस क्षेत्र की विशेषता है, को बाधा पहुंचाए बिना वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित कर सके।

6.2 नब्बे के दशक के प्रारम्भिक वर्षों तक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की संख्या काफी बढ़ गयी थी। तेजी से हुआ यह विस्तार किराया खरीद, आवास वित्त, उपकरण पट्टे पर देने और निवेश जैसे क्षेत्रों में कार्य के नये अवसरों के संबंध में वित्तीय उदारीकरण की प्रक्रिया द्वारा निर्मित सम्भावनाओं के कारण था। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के पारित हो जाने के बाद इस क्षेत्र में आस्ति पुनर्गठन का कारोबार नयी सम्भावनाएं लेकर आया है।

6.3 उन कम्पनियों की तेज गति से होनेवाली वृद्धि को देखते हुए तथा कतिपय असामंजस्य पैदा कर देनेवाली गतिविधियों की प्रतिक्रिया के रूप में मार्च 1997 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में हुए संशोधन के परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक ने जनवरी 1998 में उक्त पर्यवेक्षी ढांचे को सुदृढ़ बना दिया। पर्यवेक्षण की दृष्टि से, राजकोषीय वर्ष 2002-03 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन होने के समय विद्यमान गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के अनिवार्य पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की गयी। इसके अलावा, एक आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली भी लागू की गयी। बेहतर पारदर्शिता लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने मार्च 2003 से तुलनपत्रों की घोषणा करने की प्रणाली भी शुरू की।

6.4 हाल के वर्षों में विवेकपूर्ण ढंग से वित्तपोषण की सुविधा से गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दिखायी दिया है। सूचना देनेवाली अधिकांश गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने जोखिम भारित आस्तियों के प्रति निर्दिष्ट न्यूनतम 12 प्रतिशत का पूंजी अनुपात (सीआरएआर) दर्ज किया, जिसमें लगभग तीन चौथाई कम्पनियों का सीआरएआर 30 प्रतिशत से अधिक था। इसी प्रकार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की ऋण मात्रा के प्रतिशत के रूप में गैर-निष्पादक आस्तियों में, सकल तथा निवल दोनों रूपों में हाल के वर्षों में गिरावट आती रही है। तथापि, एक क्षेत्र के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने 2001-02 के दौरान निरंतर दूसरे वर्ष भी हानियां दर्ज कीं हैं।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

6.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशत: अथवा पूर्णत: विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां जिनमें उपस्कर पट्टा, किराया खरीद वित्तपोषण, ऋण, निवेश तथा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग व्त्तीय कम्पनियां शामिल हैं;
- पारस्परिक हितकारी वित्तीय कंपनी अर्थात निधि कंपनियां**;
- पारस्परिक हितकारी कंपनियां अर्थात** संभावित निधि कंपनियां

* पिछले वर्षों की तरह जहां नीतिगत गतिविधियां इस अध्याय में राजकोषीय वर्ष 2002-03 से संबंधित हैं ,वहीं आकड़े उपलब्ध होने में लगनेवाले समय के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण मुख्यत: वर्ष 2001-02 तक सीमित है।

** कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार ने 29 सितंबर 2003 से पारस्परिक लाभवाली (म्युच्युअल बेनिफिट) वित्तीय कंपनियों और पारस्परिक लाभवाली (म्युच्युअल बेनिफिट) कंपनियों का समूचा विनियमन अपने हाथ में ले लिया।

- विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां अर्थात चिट फंड कंपनियां अर्थात उनकी जमाराशियाँ लेने की गतिविधि की सीमा (सारणी VI.1)

6.6 कतिपय प्रकार की वित्तीय कंपनियां जैसे बीमा कंपनियां, आवास वित्त कंपनियां, स्टाक ब्रोकिंग कंपनियाँ, चिट फंड कंपनियां, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 क के अधीन निधि के रूप में अधिसूचित है और वणिक (मर्चंट) बैंकिंग गतिविधियों में लगी कंपनियों को (कतिपय शर्तों के अधीन) रिज़र्व बैंक के विनियमनों से छूट-प्राप्त है, क्योंकि वे अन्य एजेंसियों द्वारा विनियमित हैं ।

3. पंजीकरण

6.7 भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि[1] की सांविधिक अपेक्षा उस समय

सारणी VI.1: गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के प्रकार

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था	मुख्य कारोबार
1	2
I. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी	1997 में यथासंशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45I(ग) (के साथ पठित धारा 45I (च)) के अनुसार इनका मुख्य कारोबार जमाराशि प्राप्त करने अथवा ऋण देने, प्रतिभूतियों में निवेश, किराया-खरीद वित्त अथवा पट्टे पर उपस्कर देनेवाली वित्तीय संस्था का है ।
(क) उपस्कर - पट्टा कंपनी (इ एल)	पट्टे पर उपस्कर देना अथवा ऐसे कार्यकलापों का वित्त पोषण करना।
(ख) किराया-खरीद वित्त कंपनी (एच पी)	किराया-खरीद कार्यकलाप अथवा ऐसे कार्यकलापों का वित्तपोषण।
(ग) निवेश कंपनी (आइ सी)	प्रतिभूतियों का अर्जन। इनमें वे प्राथमिक व्यापारी सम्मिलित हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी प्रतिभूतियों के लिए हामीदारी कारोबार तथा बाज़ार निर्माण का कार्य करते है।
(घ) ऋण कंपनी (एल सी)	अपने कार्यकलापों को छोड़कर अन्य किसी कार्यकलाप के लिए ऋण अथवा अग्रिम प्रदान कर वित्तपोषण करना। इनमें उपस्कर-पट्टा कंपनी /किराया-खरीद कंपनी/ आवास वित्त कंपनी सम्मिलित नहीं हैं।
(ड) अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (आरएनबीसी)	ऐसी कंपनी जो किसी योजना अथवा व्यवस्था के अंतर्गत, किसी भी नाम से अभिहित, एक मुश्त अथवा किस्तों में, अंशदान अथवा अभिदान के जरिए अथवा यूनिटों अथवा प्रमाणपत्रों अथवा अन्य लखितों की बिक्री के जरिए अथवा अन्य किसी तरीके से जमाराशियां प्राप्त करती हैं। ऐसी कंपनियां ऊपर वर्णित किसी भी वर्ग में नहीं आती हैं।
II. पारस्परिक हितकारी वित्तीय कंपनी (एमबीएफसी) अर्थात, निधि कंपनी	कोई भी कंपनी जो केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 क के अंतर्गत निधि कंपनी के रूप में अधिसूचित की गई हो।
III. पारस्परिक हितकारी कंपनी (एमबीसी) अर्थात सम्भावित निधि कंपनी	ऐसी कंपनी जो निधि कंपनी के समान कार्य कर रही हो, किन्तु इस रूप में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न की गई हो जिसके पास न्यूनतम 10 लाख रुपयों की निवल स्वाधिकृत निधि हो, जिसने भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीयन प्रमाणपत्र के लिए तथा कंपनी कार्य विभाग में निधि कंपनी के रूप में अधिसूचित किए जाने हेतु आवेदन कर रखा हो तथा जिसने भारतीय रिज़र्व बैंक/ कंपनी कार्य विभाग के निदेशों/विनियमों का उल्लंघन न किया हो।
IV. विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (एमएनबीसी) अर्थात चिट फंड कंपनी	किसी ऐसे कारोबार अथवा व्यवस्था के प्रवर्तक, फोरमन अथवा अभिकर्ता के रूप में, प्रबंध करना, संचालन करना अथवा पर्यवेक्षण करना, जिसके जरिए कंपनी निश्चित संख्या में अभिदाताओं से करार करती है कि उनमें से प्रत्येक किसी निश्चित राशि का किस्तों में अथवा किसी निश्चित अवधि में अभिदान करेगा तथा यह कि ऐसे अभिदाताओं में से प्रत्येक को बदले में जैसा कि लॉटरी द्वारा अथवा नीलामी द्वारा अथवा निविदा द्वारा अथवा करार में उपबंधित किसी अन्य रीति से इनामी रकम पाने का हकदार होगा।

[1] गैबैंविकं की निवल स्वाधिकृत निधियों में कुल प्रदत्त पूंजी और भार-रहित प्रारक्षित भंडार शामिल हैं, इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं (i) संचित शेष हानि की राशि, (ii) आस्थगित राजस्व व्यय तथा अन्य अमूर्त आस्तियाँ, यदि कोई हों, (iii) निम्नलिखित के शेयरों में निवेश (क) सहायक संस्थाओं, (ख) उसी समूह की कम्पनियां, (ग) अन्य गै.बैं.वि. कम्पनियां तथा (iv) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम (क) सहायक संस्थाएँ तथा (ख) उसी समूह की कम्पनियों को स्वाधिकृत निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक के ऋण और अग्रिम।

सारणी VI.2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र

जून के अंत में	सभी गैर-बैंकिंग	सार्वजनिक जमाराशियों स्वीकार करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
1	2	3
1999	7,855	624
2000	8,451	679
2001	13,815	776
2002	14,077	784
2003	13,849	710

विद्यमान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 25 लाख रुपये तथा 21 अप्रैल 1999 को या उसके बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की इच्छुक कम्पनियों के लिए 2 करोड़ रुपये निर्दिष्ट की गयी है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 में दी गयी तीन वर्ष की अवधि 9 जनवरी 2000 को समाप्त हो गयी। रिज़र्व बैंक द्वारा स्वविवेक पर दी गयी और तीन वर्षों की अवधि भी 9 जनवरी 2003 को समाप्त हो गयी। रिज़र्व बैंक ने प्राप्त आवेदनों में एक तिहाई का अनुमोदन किया जिसमें जून 2003 के अंत में सार्वजनिक जमाराशियां[2] स्वीकार करने/धारित करने के लिए केवल 710 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनुमति दी गयी । (सारणी VI.2)। सार्वजनिक जमाराशियां रखनेवाली ऐसी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र अस्वीकार किये गये हैं या रद्द किये गये हैं, को देय तारीखों पर जमाराशियां चुकाते रहना चाहिए और उक्त प्रमाणपत्र के आवेदन/रद्द किये जाने या अपने को गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों के रूप में परिवर्तित करने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर अपनी वित्तीय आस्तियों का निपटान कर देना चाहिए। इस प्रकार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की संख्या घटती जा रही है जो कि विलयन, बंद करने या लाइसेंस रद्द करने के रूप में दिखाई दी है। इसके अलावा, सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने वाली कंपनियों की संख्या गैर-सार्वजनिक जमा स्वीकार करनेवाली गतिविधि के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण भी कम हो गयी है।

4. पर्यवेक्षण

6.8 रिजर्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पर्यवेक्षी ढांचा सुदृढ़ बनाता रहा है ताकि उनका सुचारु और स्वस्थ्य परिचालन सुनिश्चित हो सके और उन्हें अत्यधिक जोखिम लेने से बचाया जा सके। पर्यवेक्षी निरीक्षण की मात्रा का निर्धारण निम्नलिखित तीन मानदंडों पर आधारित है अर्थात क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का आकार, (ख) चलायी गयी गतिविधि का प्रकार और (ग) सार्वजनिक जमाराशियों का स्वीकरण (या अन्यथा)। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पर्यवेक्षी ढांचा चार सूत्री नीति पर खड़ा है जिसकी परिधि में आते हैं क) केमल्स पद्धति पर आधरित प्रत्यक्ष (आन साईट) निरीक्षण (ख) स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नालॉजी से समर्थित अप्रत्यक्ष (ऑफ साइट) निगरानी, ग) बाजार आसूचना और घ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की अपवाद स्वरूप रिपोर्टें।

6.9 रिज़र्व बैंक ने 2002-03 (जुलाई-जून) के दौरान कुल 918 पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निरीक्षण किया, जिसमें 255 सार्वजनिक जमा स्वीकार करनेवाली कंपनियां शामिल थीं। रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में 685 संक्षिप्त संवीक्षा (स्नैप स्क्रूटिनी) भी की।

6.10 बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच भिन्नता होते हुए भी जमा संग्रहण और ऋण प्रदान करने के व्यापक उत्पादक क्षेत्र में एक ही प्रकार की गतिविधि में लगे रहने के कारण परिचालनगत समरूपता के कई क्षेत्र हैं । बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच उनके कार्यों की समानताओं और भिन्नता के संमिश्र समूह के संदर्भ में वांछित मात्रा में विनियामक एकरूपता एक गंभीर विषय है (बॉक्स VI.1)। इसी संदर्भ में रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक ढांचे में समग्रतः बैंकों पर लागू विनियमों को अपनाया गया है, परंतु कई मामलों में वह अलग भी हैं (सारणी VI.3)। सार्वजनिक जमा स्वीकार करनेवाली कंपनियों के मामले में विनियमन अपेक्षाकृत अधिक सख्त है ताकि जमाकर्ता के हित की रक्षा की जा सके। प्रारक्षित निधियों की अपेक्षा केवल बैंकों पर लागू है, क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां साख निर्माण प्रक्रिया से सीधे जुड़े नहीं होतीं। अंतिमत: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कभी-कभार निवेशकों को प्रायः छोटे जमाकर्ताओं को अनिर्वहनीय प्रतिलाभ प्रदान करने का कभी बचन देती है इसलिए पूर्व अनुभव से बचने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों द्वारा दी जानेवाली ब्याज दरों पर सीमा लगायी गयी है।

5. नीतिगत गतिविधियां

6.11 2002-03 के दौरान रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक और पर्यवेक्षी मानदंड बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू किये हैं, विशेषकर उन्हें कुछ समय में चुनिंदा परिचालनों में वाणिज्यिक बैंकों के समतुल्य बनाया जा सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किए गए विनियामक उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं - शेष अर्थव्यवस्था में प्रचलित दरों के अनुरूप इस क्षेत्र की ब्याज दरों को संगत बनाना, विवेकसम्मत मानक दण्ड दृढ़ करना, परिचालन प्रक्रियाओं का मानकीकरण और अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकरण, रिपोर्टिंग अपेक्षाएं और लेखा समितियों के गठन के संबंध में संशोधित कम्पनी

[2] सार्वजनिक जमाराशियों में निम्नलिखित शामिल हैं - शेयर पूंजी, केंद्र और राज्य सरकारों, विदेशी सरकारों, बैंकों, संस्थाओं, पंजीकृत साहूकारी से लिए गये उधारों के रूप में प्राप्त राशियां, चिट अभिदानों, आस्ति की बिक्री के लिए अग्रिम, डीलरशिप जमाराशि, जमानती जमाराशि के रूप में प्राप्त धन, अन्य कंपनियों और म्युच्युअल फंड से प्राप्त धन, वैकल्पिक रूप में परिवर्तनीय डिबेंचरों, जमानती डिबेंचरों हाइब्रिड ऋणों /गौण ऋणों और वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम द्वारा जुटाया गया धन, निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से प्राप्त जमाराशि और निजी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से स्वीकृत जमाराशियों की राशियों को छोड़कर जमाराशि या ऋण या अन्य किसी भी रूप में प्राप्त धन ।

बाक्स VI.1 : बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के लिए विनियामक स्वरूप

बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करती हैं। विनियामक स्वरूप का वित्तीय प्रणाली की दक्षता तथा वित्तीय स्थिरता के लिए गहरा निहितार्थ होता है। उनके विनियमन में आनेवाले अंतरालों से अकसर विनियामक मध्यस्थता की संभावना निर्मित होती है जिसका संसाधनों के सही मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया और प्रभावी आबंटन पर प्रभाव पड़ता है अथवा वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न घटकों पर विनियामक दबाव आ जाता है। बैंक और सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच जमाराशियों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। इसके अलावा, बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऋण बाजारों के कुछ भागों में निधियों को उधार देने में भी प्रतिस्पर्धा करते हैं । ये दो घटक विनियामक समरूपता के लिए लाइसेंसीकरण (और प्रविष्टि), पूंजी-पर्याप्तता, ऋण हानि के लिए प्रावधानीकरण और जोखिम प्रबंधन। साथ ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का एक बड़ा वर्ग सार्वजनिक जमाराशियां नहीं जुटाता हैं और इस कारण वह अपनी गतिविधियों के लिए वित्त जमा धन से प्रदान नहीं करता, जैसाकि बैंक करते हैं। इसका आशय यह है कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच जमाकर्ता की सुरक्षा पर आधारित विनियामक समरूपता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर समान रूप से लागू नहीं होती।

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के विनियमन में अंतर उनकी अद्वितीय विशेषता और उनके कार्यकलाप में विद्यमान मूलभूत अंतर में दिखायी देता है। पहला, जहां बैंक और गैर-बैंकिंग कम्पनियों में जमाराशियां ये दोनों ही जमाकर्ता की इच्छा को दर्शाती हैं, वहीं बैंक खातों - चालू और / या बचत खातों को निश्चित रूप से वित्तीय लेनदेनों का निपटान करना पड़ता है, क्योंकि बैंकों के पास अदायगी प्रणाली के एक घटक के नाते चेक जारी करने की शक्ति होती है। दूसरा, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के जरिये किये जानेवाले लेनदेनों से भिन्न तीव्र व्यापक आर्थिक निहितार्थ होते हैं। बैंक के पास रखी जमाराशि से ऋणसृजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वहीं गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के पास जमाराशि रखी जाने से बिना किसी तत्काल मौद्रिक प्रभाव के बैंक जमाराशियों के स्वामित्व का अंतरण हो जाता है। इसका अर्थ है प्रारक्षित नकदी निधि की आवश्यकता जैसे कतिपय विनियामक उपाय केवल बैंकों ही पर लागू होते हैं।

बैंक की सुदृढ़ स्थिति पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्य का प्रभाव भी जटिल होता है। पहला, मीयादी जमाराशियां बैंकों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में लगा देने से बैंकों को तुलनपत्रों में ब्याज व्यय की राशि कम हो जायेगी क्योंकि इसकी काफी संभावना है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ये निधियां बिना ब्याजवाले चालू खातों में रखेंगी। दूसरे, अलग-अलग बैंकों के मामलों में नकदी प्रवाहों की विभिन्न लागत भी मौजूद रहेगी क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उनके लिए कारोबारी लेनदेन करती हैं। इस प्रकार बैंक की स्थिति पर निवल प्रभाव मुख्य रूप से इन दोनों घटकों की संबंधित समर्थता पर निर्भर होगा। अंतिम, जहां तक बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को ऋण प्रदान करते हैं, वहां तक कंपनियों के कार्य-निष्पादन से बैंकों की स्थिति आहत होती है।

संदर्भ :

कारमाइकल, जैफ्री और माइकल पोमरलिएनो (2002), 'दि डेवलपमेंट' एण्ड 'रेग्यूलेशन ऑफ नॉन बैंक फाइनेंशियल इन्स्टिटुशन' विश्व बैंक, वांशिग्टन, डी.सी.

अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप पर्यवेक्षी निदेशों को संगत बनाना।

ब्याज दरें

6.12 वित्तीय बाजारों में घटती हुई ब्याज दरों के मद्देनजर एनबीएफसी (निधि कंपनियों और चिट फंड कंपनियों) द्वारा लोगों की जमाराशियों पर दी जानेवाली अधिकतम वार्षिक ब्याज दर 4 मार्च 2003 से 12.5 प्रतिशत से कम करके 11.0 प्रतिशत कर दी गयी है। इसी प्रकार आरएनबीसी द्वारा दिए जानेवाले ब्याज की न्यूनतम दर दैनिक जमा योजनाओं पर 4.0 प्रतिशत वार्षिक से कम करके 3.5 प्रतिशत वार्षिक, तथा अन्य प्रकार की जमाराशियों पर ब्याज दर 6.0 प्रतिशत वार्षिक से कम करके 5.0 प्रतिशत वार्षिक कर दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी वित्तीय व्यवस्था में अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) जमाराशियों पर दरें एक समान हों, आरएनबीसी सहित एनबीएफसी को यह निदेश दिया गया है कि उनके द्वारा स्वीकार की जानेवाली ऐसी जमाराशियों पर देय ब्याज अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा देय ब्याज के समान होगा अर्थात वह संगत परिपक्वता के यूएस डालर के लिए लंदन इंटर-बैंक ऑफर रेट (लिबोर)। स्वैप (अदला-बदली) दर से 25 आधार बिन्दु अधिक होनी चाहिए।

आस्ति देयता प्रबंध

6.13 एनबीएफसी के लिए जून 2001 में जारी आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) संबंधी दिशानिर्देश 31 मार्च 2002 से पूर्णरूपेण परिचालन में आ गए हैं। 20 करोड़ रुपए तथा अधिक की सार्वजनिक जमाराशिवाली अथवा 100 करोड़ रुपए तथा अधिक की आस्तिवाली एनबीएफसी के संबंध में 30 सितंबर 2002 से छमाही रिपोर्टिंग की व्यवस्था शुरू की गयी है तथा यह रिपोर्टिंग संगत छमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर करनी होगी।

सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन

6.14 सभी एनबीएफसी को निदेश दिया गया कि वे अपना निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से अवश्य करें (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) में ग्राहकों की सहायक सामान्य बही खाता (सीएसजीएल) अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत सहभागी निक्षेपागार क जरिए निक्षेपागारों यानी राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) तथा केंद्रीय निक्षेपागार सेवा लि. (सीडीएसएल) में अभौतिकीकृत (डीमेट) खाते में करें।

जमाकर्ताओं को शिक्षित के लिए प्रकटीकरण

6.15 एनबीएफसी की जमाराशियां किसी बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत नहीं हैं। पारदर्शिता और लोगों की जागरूकता के हित में एनबीएफसी को निदेश दिया गया है कि वे अपने पास रखने के लिए सार्वजनिक जमाराशियों को आमंत्रित करने के लिए अपने द्वारा जारी किसी भी विज्ञापन/विवरण में यह वाक्यांश शामिल करें कि उनके पास जमा की गई जमाराशियां बीमाकृत नहीं हैं।

सारणी VI.3 : बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विनियामक मानदंड

ब्यौरा	बैंक	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
1	2	3
न्यूनतम पूंजी/निवल स्वाधिकृत निधि	नए बैंकों के मामले परिचालन शुरू करने के तीन वर्ष के भीतर 200 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए की जानी है। किसी भी समय प्रवर्तक का न्यूनतम अंशदान प्रदत्त पूंजी का 49 प्रतिशत बने रहना चाहिए।	किसी भी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था को व्यवसाय शुरू करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान करने के प्रयोजन से कम से कम 2 करोड़ रुपए की निवल स्वाधिकृत निधियां होना एक पूर्व-शर्त है।
सांविधिक चलनिधि अपेक्षाएं	भारत में (i) नकदी (ii) स्वर्ण (चालू बाजार मूल्य तक),(iii) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट मूल्यों पर भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में अथवा (iv) पाक्षिक आधार पर भारत में कुल मांग और मीयादी देयताओं के न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि, किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर, भारत में राष्ट्रीय बैंक में चालू खाता में निवल शेष बनाए रखें अथवा दूसरे यह 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए रिज़र्व बैंक समय-समय पर जारी नोटिस के जरिए निर्दिष्ट करता है।	भारत में वर्तमान बाजार मूल्यों पर निर्धारित मूल्यवाली भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर राशि बनाए रखें जो दूसरी पिछली तिमाही के अंतिम कार्यदिवस को बकाया सार्वजनिक जमाराशियों के 15 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
नकदी प्रारक्षित अनुपात	लागू हैं	ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है।
प्रारक्षित निधि	लागू है। लाभांश की घोषणा के पूर्व प्रत्येक वर्ष लाभ में से लाभ के 20 प्रतिशत से अधिक की राशि ऐसे प्रारक्षित निधि में अंतरित करें।	बैंकों जैसा ही प्रावधान लागू है।
प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व-अनुमोदन	आवश्यक प्रबंधक निदेशकों आदि की नियुक्ति की शर्तों में संशोधन के संबंध में लागू है।	ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है।
समान निदेशकों पर रोक	लागू है	ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है।
अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति के अधिकार	बैंकिंग कंपनी के अतिरिक्त निदेशकों के रूप में एक अथवा अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति रिज़र्व बैंक कर सकता है।	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के मामले में ऐसा कोई अधिकार नहीं है।
लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर नियंत्रण	बैंकिंग कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनः नियुक्ति अथवा उन्हें हटाने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। इन कंपनियों को कंपनी अधिनियम 1956 के उपबंधों के अनुसार अपने लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का अधिकार है।
जमा संबंधी निदेश	बैंकिंग की एक प्रमुख विशेषता है लोगों से जमाराशियां स्वीकार करना जो मांगे जाने पर प्रतिदेय (चुकाने योग्य) हैं। बचत खाते पर देय ब्याज दर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित है।	सार्वजनिक जमाराशियाँ स्वीकार करने के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम पात्रता मानदंड, प्रमात्रा, न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि, ब्याज दर से संबंधित विस्तृत निदेशन और विज्ञापन।
भुगतान प्रणाली	भुगतान और निपटान प्रणाली के सदस्य हैं।	चेक द्वारा आहरणयोग्य जमाराशियों को स्वीकार कराने की अनुमति नहीं ।
निक्षेप बीमा	किसी बीमाकृत बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता का उसी क्षमता और अधिकार में 1 लाख रुपए तक की राशि भारतीय निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा बीमाकृत होती है।	जमाराशियां बीमाकृत नहीं होती हैं तथा कोई सरकारी एजेंसी मूलधन अथवा ऐसी जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान की गारंटी नहीं लेती है।
पुनर्वित्त सुविधा	रिज़र्व बैंक पुनर्वित्त सुविधा पुनर्भुनाई सुविधा और मांग ऋण प्रदान करता है।	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
समामेलन का अधिकार तथा व्यवस्था की योजना	रिज़र्व बैंक को अधिकार है कि वह बैंक के शेयरधारकों के अपेक्षित बहुमत द्वारा अनुमोदन पर समामेलन, पुनर्निर्माण और व्यवस्था की योजना की अनुमति दे सकता है।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
बंद करने की प्रक्रियाएं	कतिपय परिस्थितियों में बैंकिंग कंपनी को बंद करने के विशेष प्रावधान है।	कंपनी अधिनियम, 1956 में निहित आय प्रावधानों के अंतर्गत बंद करना।

पूंजी बाजार में एनबीएफसी का निवेश

6.16 पूंजी बाजार में एनबीएफसी के निवेश का जमाकर्ताओं के हित पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 31 मार्च 2002 अथवा उसके बाद की स्थिति के अनुसार 50 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक की सार्वजनिक जमाराशियां रखनेवाली एनबीएफसी तथा जमाकर्ताओं के 50 करोड़ रुपए तथा उसके अधिक की कुल देयताओं वाली आरएनबीसी को निदेश दिया गया है कि वे संगत तिमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर, तिमाही अंतराल पर, पूंजी बाजार में अपने निवेश से संबंधित सूचना रिज़र्व बैंक को उपलब्ध कराएं।

छूट :

6.17 विनियामक दिशानिदेश का मूल सिद्धांत जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है, न कि वास्तविक जोखिम उठाने के मूल कार्य को हतोत्साहित करना। तदनुसार, उद्यम पूंजी निधि कंपनियों तथा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों को, जो रिज़र्व बैंक विनियमों के अंतर्गत यथापरिभाषित लोगों की जमाराशियां स्वीकार नहीं करती हैं तथा जो सेबी से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हैं, उन्हे पंजीकरण प्रमाणपत्र अपेक्षाओं, चलनिधि आस्तियों को बनाए रखने तथा प्रारक्षित निधि के गठन से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धाराओं के मुख्य प्रावधानों से छूट प्रदान की गयी है।

यूटीआई की यूनिटों में आरएनबीसी द्वारा निवेश

6.18 किसी म्युचुअल फंड में असमानुपाती (बृहत) निवेश को रोकने के लिए म्युचुअल फंडों में आरएनबीसी के निवेश कतिपय प्रतिबंधों के अधीन हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के दो भागों में बँट जाने तथा इस तथ्य के कारण कि यूटीआइ की म्युचुअल फंड संबंधी वर्तमान गतिविधियां सेबी (म्युचुअल फंड) विनियमन, 1996 के दायरे में आती हैं, के मद्देनजर आरएनबीसी को यह अनुमति कि वे जमाकर्ताओं को कुल देयताओं का 10 प्रतिशत की समग्र उप सीमा यूटीआई की यूनिटों में निवेश कर सकती हैं, समाप्त कर दी गयी है। तथापि, यूटीआइ सहित म्युचुअल फंडों में निवेश करने की आरएनबीसी को दी गयी अनुमति समग्र देयताओं के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर जारी रहेगी। किसी मुचुअल फंड को ऐसी देयताओं का 2 प्रतिशत की उप अधिकतम सीमा तक निवेश करने की छूट अब यूटीआइ की यूनिटों के लिए भी दी गयी है।

प्राथमिक व्यापारी

6.19 प्राथमिक व्यापारियों के लिए विनियामक संरचना वित्तीय बाजार में उनकी अद्वितीय स्थिति को दर्शाती है, जबकि वे अनिवार्य रूप से मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजार में काम करनेवाले गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थक हैं, प्राथमिक व्यापारी भी केंद्रीय बैंक की चलनिधि को बैंकों में ले जाते हैं ताकि मांग मुद्रा बाजार में बैंकों को उनके ऋण की अंतर-बैंक देयताओं का अंग माना जाए। मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजार में बैंकों के साथ निवेशक होने के अतिरिक्त प्राथमिक व्यापारी बाजार बनाने का कार्य भी संपन्न करते हैं, जिसके दौरान उन्हें चलनिधि समायोजन सुविधा के रूप में रिज़र्व बैंक की चलनिधि व्यवस्था तक पहुंच की अनुमति होती है तथा हाल ही तक, प्राथमिक नीलामियों में उनकी प्रतिबद्धता के अनुरूप पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध होती रही हैं । वित्त बाजार में उनकी विशेष भूमिका के अनुरूप रिज़र्व बैंक ने हाल ही में प्राथमिक व्यापारियों के लिए विनियामक संरचना का निर्माण किया है जो बैंकों से उनकी कार्यात्मक समानताएं और भिन्नताएं दर्शाता है (सारणी VI.4) मुद्रा बाजार लिखतों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापारी के रूप में उनके अनिवार्य कार्य के मद्देनजर बैंकों से भिन्न प्राथमिक व्यापारी आस्ति वर्गीकरण, आय की पहचान, गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण और निवेश मानदंडों के संबंध में कई विनियमों के अधीन नहीं हैं। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक व्यापारी नेटवर्क का पैमाना, क्षेत्र और विनियमन कमोबेश विभिन्न देश के अनुभवों के अनुरूप है (सारणी VI.5)।

6.20 निम्नलिखित विशेषताओं के संदर्भ में प्राथमिक व्यापारियों को उनकी बढ़ती हुई सर्वांगीण महत्ता को ध्यान में रखते हुए 2002-03 में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के दायरे में लाया गया है: क) उनकी बड़ी संख्या ख) अल्पावधिक निधि के साथ अत्यधिक बड़े लीवरेज्ड पोर्टफोलियो, संविभाग ग) सरकारी प्रतिभूति बाजार में पर्याप्त हिस्सा, तथा घ) मुद्रा बाजार में महत्त्वपूर्ण स्थिति जो बैंकों से तुलनीय है। रिज़र्व बैंक निर्धारित आवधिक विवरणियों के जरिए अप्रत्यक्ष नियंत्रण के अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी का प्रत्यक्ष (कार्यस्थल पर) निरीक्षण भी करता है।

6.21 जनवरी 2002 में प्राथमिक व्यापारियों को निदेश दिया गया कि वे लाभांश वितरण के लिए विवेकसम्मत नीति का अनुसरण करें। इससे पर्याप्त भंडार निर्माण की संभावना है (जो विनियामक अपेक्षाओं से अधिक भी हो सकता है) जो भविष्य में ब्याज दर में प्रतिकूल गतिविधि के लिए समयोपयोगी भंडार के रूप में काम करेगा। प्राथमिक व्यापारियों की वित्तीय क्षमता की निगरानी नियमित अंतराल पर की जा रही है।

6.22 प्राथमिक व्यापारियों के परिचालन के लिए निधियन अवसरों को बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें (प्राथमिक व्यापारियों) को अनुमति दी गयी कि वे अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के 25 प्रतिशत तक की समग्र सीमा के भीतर बैंकों से विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) ऋण प्राप्त करें ताकि वे अपने निधीयन स्रोतों को पूरा कर सकें। ऐसे ऋणों पर विदेशी मुद्रा जोखिम को हमेशा निवेश के 50 प्रतिशत तक प्रतिरक्षा (बचाव) की आवश्यकता होगी।

सारणी VI.4 : चुनिंदा विनियामक मानदंडों के संबंध में बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों की तुलनात्मक स्थिति

मानदण्ड	बैंक	प्राथमिक व्यापारी
1	2	3
सीआरएआर	कुल जोखिम भारित आस्तियों का 9 प्रतिशत	15 प्रतिशत ऋण जोखिम के लिए टियर I और टियर II पूंजी जैसा कि बैंकों के लिए परिभाषित है। भारतीय ब्यूरो मानदंडों के अनुसार बाध्यताओं के अधीन बाजार जोखिम के लिए टियर III पूंजी। सहायक कंपनियों (व्यापारियों) के लिए पूंजी-पर्याप्तता लागू नहीं है।
निवेश	सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों और गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों अर्थात् कुल निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया यथा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) (कुल निवेश का 25.0 प्रतिशत तक) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) तथा व्यापार (ट्रेडिंग) के लिए धारित (एचएफटी) साथ ही उन्हें क्रमिक रूप से बही में नियमित आधार पर बाजार मूल्य पर अंकित करने का मानक अपनाया जाए। तथापि तुलन पत्र फार्मेट के अनुसार निवेशों को छह वर्तमान वर्गीकरणों के अनुसार प्रकट किया जाना जारी रहेगा।	सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिभूतियों के संविभाग की धारिता अवधि तथा उनको बेचने (व्यतिक्रम) की अवधि की शर्त तक पूरा किया जा सकता है तथा इन्हें व्यापार के लिए धारित और बाजार-मूल्य के अनुसार बही में अंकित किया गया माना जाए।
प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएं	मदों[3] की संख्या	(क) मांग में निवल उधार (अवधि के दौरान औसत और सर्वाधिक) (ख) लागत से कमी पर मूल्यन का आधार तथा बाजार मूल्यांकन का आधार (लो कॉम)/बाजार मूल्य को बही खाता में अंकित करना (एमटीएम) (ग) लीवरेज अनुपात (औसत और सर्वाधिक); और (घ) सीआरएआर (तिमाही आंकड़े) इसके अतिरिक्त प्राथमिक व्यापारी अतिरिक्त प्रकटीकरण के जरिए भी और जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं।
आस्ति-देयता प्रबंध संबंधी दिशा निर्देश	फरवरी 1999 में शुरू की गयी। बैंकों को आरम्भ में अपनी देयताओं और आस्तियों के 60 प्रतिशत तथा उसके बाद 1 अप्रैल 2000 तक अपने व्यवसाय के 100 प्रतिशत तक व्याप्ति सुनिश्चित करनी होगी। प्रथम दो बार के समूहों (अर्थात 1-14 दिन तथा 15-29 दिन) में केवल ऋणात्मक चलनिधि असंगतियों के लिए ही विवेकसम्मत मानदण्ड निहित किए गए तथाउसकी दर इन समय समूहों में प्रत्येक के लिए नकदी प्रवाह का 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया।	एनबीएफसी के आस्ति देयता प्रबंध संबंधी दिशा निदेश प्राथमिक व्यापारियों पर जनवरी 2002 से उनके परिचालन की प्रकृति के अनुरूप आवश्यक संशोधन के साथ लागू है। • चलनिधि जोखिम प्रबंध के लिए संपूर्ण सरकारी प्रतिभूति संविभाग को चलनिधि माना जाए तथा उन्हें प्रथम समय समूह में रखा जाए। गैर-सरकारी प्रतिभूतियों को धारिता अवधि तथा उन्हें बेचने (व्यतिक्रम) अवधि की शर्त को पूरा करने तक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो (संविभाग) माना जाए। • प्राथमिक व्यापारियों को निदेश दिया गया है कि वे साधारण परिपक्वता पुनमूल्यनिर्धारण अंतर के बजाय ब्याज दर जोखिम प्रबंध उपायों के संबंध में आवधिक अंतराल, आधार बिन्दु पर वर्तमान मूल्य (पीवीबीपी), जोखिम दैनिक आय (डीइएआर), जोखिम मूल्य आदि को जारी रखें जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा सुझाव दिया गया है।
संसाधन संग्रहण	बैंकों के लिए लागू नहीं है।	प्राथमिक व्यापारी निम्नलिखित के जरिए संसाधन जुटा सकते हैं : i) मांग/मीयादी उधार ii) सामान्य/बैकस्टाप/ चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिजर्व बैंक से उधार; iii) बाजार से रिपो उधार iv) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से क्रेडिट लाइन के अंतर्गत उधार; v) आइसीडी/वाणिज्यिक पत्र/बांड के जरिए उधार; और vi) बैंकों की विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता के अंतर्गत उधार

[3] सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा तुलनपत्र में लेखों पर टिप्पणी में निम्नलिखित सम्मिलित हैं : भारत सरकार की प्रतिशत शेयरधारिता; निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीए की प्रतिशतता; एनपीए के लिए किए गए प्रावधान की राशि; निवेश और आयकर के मूल्य में पृथक; गिरावट; पूंजी पर्याप्तता अनुपात (टियर I और टियर II पूंजी) पृथक; टियर II पूंजी के रूप में जुटाये गये गौण ऋण; भारत में और भारत के बाहर निवेश का सकल मूल्य; मूल्यह्रास और निवेश के निवल मूल्य के लिए कुल प्रावधान; औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय; औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ; आस्तियों पर आय; प्रति कर्मचारी कारोबार; प्रति कर्मचारी लाभ; ऋण और अग्रिम का परिपक्वता स्वरूप; प्रतिभूतियों में निवेश का परिपक्वता स्वरूप; विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताएं एनपीए में उतार-चढ़ाव; जमाराशि और उधार का परिपक्वता स्वरूप; संवदेनशील क्षेत्रों को ऋण देना; पुनः संरचित लेखाओं का हिसाब करना; शेयरों में निवेश; परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश; इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंडों की यूनिटें; एनपीए के लिए धारित प्रावधानों में घट बढ़ तथा निवेश संबंधी मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में घटबढ़।

सारणी VI.5: प्राथमिक व्यापारी प्रणालियां भिन्न-भिन्न देशों के अनुभव

अर्थव्यवस्था	आरम्भ की तारीख	व्यापारियों की संख्या	प्राथमिक व्यापारियों की संख्या	केंद्रीय बैंक की सुविधाओं तक पहुंच		पर्यवेक्षण
				चल निधि सहायता	खुला बाजार परिचालन	
1	2	3	4	5	6	7
ब्राजील	1974	338	22	नहीं	हाँ	केंद्रीय बैंक
कनाडा	1998	44	12	हाँ	हाँ	केंद्रीय बैंक, वित्त मंत्रालय, निवेश व्यापारी संघ।
फ्रांस	1987	40 से अधिक	18	नहीं	नहीं	वित्त मंत्रालय
मेक्सिको	2000	20-25	5	हाँ	नहीं	केंद्रीय बैंक, वित्त मंत्रालय
ब्रिटेन	1986	उपलब्ध नहीं	17	नहीं	नहीं	वित्त सेवा प्राधिकरण, वित्त मंत्रालय
संयुक्त राज्य अमेरिका	1960	उपलब्ध नहीं	25	हाँ	हाँ	केंद्रीय बैंक, वित्त मंत्रालय

एन. ए : उपलब्ध नहीं

स्रोत : अर्नौन, मार्को और जार्ज आइडेन (2003) प्राइमरी डालर्स इन गर्वेन्मेंट सिक्योरिटीज पालिसी, इस्यूज 2003 सलैक्टेड कन्ट्रीज *'एक्सपीरियेंस'* आइएमएफ वर्किंग पेपर सं. डब्ल्यूपी/03/45।

6.23 कुछ प्राथमिक व्यापारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने परिचालनात्मक दिशानिदेश जारी किए जिससे वे रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठानों के लिए पोर्टफोलियो (संविभाग) प्रबंध सेवा प्रदान करने में सक्षम हुए। उपर्युक्त परिचालनात्मक दिशानिदेशों के अनुपालन के अतिरिक्त, प्राथमिक व्यापारियों द्वारा शुरू की गयी संविभाग प्रबंध सेवा के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन और सेबी में पंजीकरण अपेक्षित है।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त और निदेशन

6.24 कई देशों ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र-दोनों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की स्थापना की है, जिन्हें बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली और समापन में विशेषज्ञता प्राप्त है (सारणी VI.6)। यह मेक्सिको, फिलीपीन, स्पेन और अमरीका में आस्तियों की तीव्र गति से निपटान करने के लिए किए गए पहले के अनुभवों को सुदृढ़ करता है। बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधी समिति (अध्यक्ष: श्री एम. नरसिंहम) ने अवरूद्ध आस्तियों के आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अंतरित करने की सिफारिश की थी। हाल ही का वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएइएसआइ अधिनियम) में बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री का प्रावधान है।[4]

6.25 आस्ति पुनर्निर्माण का बुनियादी परिचालन एक सामान्य कल्पित उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है (सारणी VI.7)। कोई बैंक अपनी गैर-निष्पादक आस्तियाँ को उस छूट / बट्टे (जैसे, संपार्श्विक मूल्यांकन के लिए चिन्हित) पर किसी ए आर सी को बेच सकेगा जो उसके तुलन पत्र को भार-रहित रखने के लिए सामान्य प्रक्रिया को क्षति पहुँचाए बिना ए

सारणी VI 6 : पुनर्संरचनात्मक एजेंसियां - चुनिंदा देशों के अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव

देश	एजेंसी	स्वामित्व	आस्ति अंतरण मानदंड	अन्तरण मूल्य	निपटान की गई आस्तियों का हिस्सा
1	2	3	4	5	6
चीन	बैंकों के चाए एजेंसियां बैंकों के अनुकूल बनी (वर्ष 1999)	सार्वजनिक	गैर - निष्पादक ऋण	बही मूल्य	दिसंबर 2001 के अनुसार 9.0 प्रतिशत
फिनलैंड	आर्सेनल (1993)	सार्वजनिक	गैर - निष्पादक ऋण	बही मूल्य	50 प्रतिशत से कम
घाना	एनपीएआरटी (1990-97)	सार्वजनिक	अधिकांशतः गैर-निष्पादक ऋण	उपचित ब्याज को छोड़कर, बही मूल्य	अनुपलब्ध संयाजक एजेंसी में परिवर्तित
स्वीडन	सेक्यमरम (1992-97) रिट्रीवा (1993 - सेक्यूरम के साथ विलयित, 1995)	सार्वजनिक	ऋणों की मात्रा एवं जटिलता	बही मूल्य	86 प्रतिशत

स्रोत: 1. क्लिंजेबियक, डी (1999), ऑफ बैंकिंग काइमेसड वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर।
2. मा गॉनम एण्ड बेन एस. सी. फंग (2002), "चाइनीज असेट मैनेजमेंट कारपोरेशन," बीआईएस वर्किंग पेपर, सं.115

[4] अध्याय 2 में इस संबंध में ब्यौरे दिये गए हैं।

सारणी VI.7 आस्ति पुनर्निर्माण में लेन-देन : एक परिकल्पित उदाहरण

बैंक के तुलन पत्र में उपलब्धता				ए आर सी के तुलन पत्र में उपलब्धता			
देयताएं		आस्तियां		देयताएं		आस्तियां	
1	2	3	4	5	6	7	8
जमा राशियाँ		ए आर सी को अंतरित ऋण	-100	बांड	50	अंतरित मूल्य पर मूल्यांकित बैंक ऋण	50
लाभ	(-)50	प्राप्त भुगतान (आंतरित मूल्य पर ए आर सी बांड)	50	लाभ	10	पुनर्निर्माण के दौरान मूल्य-वर्धन	10
कुल	**-50**		**-50**	**कुल**	**60**		**60**

आर सी द्वारा जारी किए गए बांडों के बदले में लाभ हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा। ए आर सी, जो बैंक (या जनता) को जारी किए गए बांडों के बदले में आस्तियां) खरीदती है, लाभ अर्जित कर सकती है, यदि इसका पुनर्निर्माण कर सके अथवा उच्चतर मूल्य पर इसका निपटान कर सके।

6.26 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (एस ए आर एफ एई एस आई) (बॉक्स VI.2) की धारा 3 के अन्तर्गत पंजीकरण की माँग करनेवाली प्रतिभूतिकरण कम्पनियों तथा आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों को मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा दिशा निर्देश जारी किए । रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों से अब तक 15 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों के पंजीकरण के लिए एक बाहय परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है जो इन आवेदनपत्रों की संवीक्षा करेगी तथा इन कंपनियों के पंजीकरण हेतु रिज़र्व बैंक को परामर्श देगी। कतिपय शर्तों के अधीन आस्ति पुनर्गठन कम्पनियों का कारोबार करने के लिए अब तक दो आवेदनपत्रों को अनुमोदित किया गया है। दो आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, यथा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया), लिमिटेड तथा एसेट केयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड को कतिपय शर्तों के अधीन प्रतिभूतिकरण तथा आस्ति पुनर्गठन का कारोबार प्रारम्भ करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है।

नये तुलन-पत्र फार्मेट का स्वरूप

6.27 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पर्यवेक्षणीय ढाँचे की रूप-रेखा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समूह (अध्यक्ष : श्री पी.आर. खन्ना) की सिफारिशेां के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारण किया है कि 31 मार्च 2003 के बाद सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि क्या वे आम जनता की जमा राशियाँ धारण करती हैं या नहीं) कुछ अतिरिक्त निर्धारित विवरण (बॉक्स VI.3) को शामिल करनेवाली एक अनुसूची तुलन-पत्र के साथ संलग्न करें। ये अपेक्षाएँ, उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद वित्त, ऋण और निवेश तथा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की श्रेणीवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू हैं।

6.28 पारस्परिक हितकारी वित्तीय कंपनियों (निधीज़) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के मूल्य प्रावधानों तथा ब्याज दर पर सीमा, जमा राशियों के रजिस्टर का रखरखाव, जमाकर्ताओं को जमा-रसीदें जारी किया जाना, तथा जमाराशियों पर वार्षिक विवरणी के प्रस्तुतीकरण से संबंधित निर्देशों को छोड़कर सभी निर्देशों से छूट दी गई है। तथापि, विशेषज्ञ समूह (अध्यक्षः सुबानयगाम) की सिफारिशों को लागू करने के एक भाग के रूप में केन्द्रीय सरकार ने पारस्परिक हितकारी वित्तीय कंपनियों के लिए कतिपय विवेकपूर्ण मानदंड, जैसे कि प्रविष्टि संबंधी मानदण्ड, जमाराशियों के अनुपात में निवल स्वाधिकृत निधियां, निर्धारित चल निधि आस्ति अपेक्षा, जमाराशियों का स्वीकरण तथा इसकी पद्धति (जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में है) जुलाई 2001 में निर्धारित किये इन मानदण्डों को अप्रैल 2002 में पुनः संशोधित किया गया। इन उपायों से इन कंपनियों के कार्य में मजबूती आने की आशा की जाती है। केन्द्रीय सरकार ने 29 सितंबर 2003 को यह अधिसूचित किया कि इन कंपनियों द्वारा स्वीकार की गयी जमाराशियों पर देय ब्याज वैसा ही होगा जैसा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए है। उपर्युक्त निर्धारणों के साथ इन कंपनियों का समस्त विनियमन कंपनी कार्य विभाग द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया है।

पारस्परिक हितकारी कंपनियां (एम बी सी / संभावित निधी)

6.29 निधि कंपनियों के रूप में कार्य कर रहीं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक द्वारा पारस्परिक हितकारी कंपनी (एम बीसी) के रूप में तथा कंपनी कार्य विभाग (डीसीए) द्वारा संभाव्य निधि कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 क के अन्तर्गत निधि कम्पनियों की हैसियत चाहनेवाली कंपनी के रूप में पारिभाषित किया गया है। यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि (9 जनवरी 2003 तक) ऐसी 206 कम्पनियां थीं जो कंपनी कार्य विभाग द्वारा अपने आवेदनों को निधि कम्पनी के रूप में अधिसूचित किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थीं तथापि, निधि कम्पनियों की हैसियत की प्रतीक्षा कर रही पारस्परिक हितकारी कंपनियों की एक बड़ी संख्या जिसमें

बॉक्स VI.2: आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियां

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) तथा पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) सहित प्रतिभूतिकृत ऋणदाताओं द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने 21 जून 2002 को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एस ए आर एफ ए इ एस आदि)अधिनियम, 2002 पारित किया। यह अधिनियम, रिज़र्व बैंक को पंजीकरण, स्वाधिकृत निधि, विवेकपूर्ण मानदंड, पूँजी-पर्याप्तता, सकल मूल्य तथा प्राप्त की जाने वाली परिसंपत्ति के प्रकार जैसे क्षेत्रों सहित ऐसी कंपनियों के पंजीकरण तथा इनके कार्यकलाप के लिए विनियम तैयार करने का अधिकार देता है। उपर्युक्त मामलों, से निपटने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा गठित दो कार्य समूहों की सिफारिशों के आधार पर 23 अप्रैल 2003 को प्रतिभूतिकरण अथवा पुननिर्माण कंपनियों को मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एस सी/आरसी की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-

- रिज़र्व बैंक से पंजीकरण चाहनेवाली एस सी / आरसी के लिए 2 करोड़ रुपये की स्वाधिकृत निधि अपेक्षित है।
- ऐसी एससी / आरसी प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण जैसे दोनों कार्य कर सकती हैं। जबकि वे एससी और आरसी जो रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उच्च प्रतिभूतिकरण अधिनियम की परिधि के बाहर प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण का कार्य कर सकती हैं, वे प्रतिभूतिकरण अधिनियम में प्रदत्त प्रवर्त्तन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकतीं।
- रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एससीज़ / आरसीज़, को स्वयं को प्रतिभूतिकरण तथा आस्ति पुनर्गठन के कारोबार की गतिविधियों तक तथा प्रतिभूतिकरण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदित ऐसी अन्य गतिविधियों तक सीमित रखना होगा/ सकती हैं। किसी अन्य प्रकार के कारोबार करने के लिए उन्हें रिज़र्व बैंक से अनुमोदन लेना होगा। ऐसा कोई अन्य कारोबार करनेवाली कंपनियों को 20 जून, 2003 से ऐसे कार्यकलापों को करने से रोक दिया गया है।
- एससी / आरसी जमाराशियाँ (कंपनी अधिनियम, 1956 की धार 58 ए के अन्तर्गत यथा परिभाषित) स्वीकार नहीं करेंगी।
- जबकि प्रतिभूति अधिनियम में प्रबंधन के परिवर्तन अथवा अधिग्रहण / उधारकर्ता के कारोबार के विक्रय अथवा पट्टे पर दिए जाने का प्रावधान है, एस सी / आरसी तब तक इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती हैं, जब तक कि रिज़र्व बैंक इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी न करे।
- प्रत्येक एससी / आरसी को रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वीकृत किए जाने के 90 दिन के भीतर अपने निदेशक - मंडल (बोर्ड) के अनुमोदन से एक आस्ति अधिग्रहण नीति तैयार करनी होगी। *अन्य बातों के साथ - साथ* इसमें वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण, आस्तियों के प्रकार तथा वांछनीय रूप-रेखा, आस्तियों के मूल्यांकन तथा अधिकारों के प्रत्यायोजन के लिए मानदंड एवं प्रक्रियाओं का प्रावधान करना लगा।
- एस सी / आरसी, उधारकर्ता द्वारा अदा किये जाने वाले ऋण का पुनर्निर्धारण तथा निपटान, इस संबंध में उनके निदेशक मंडल (बोर्ड) द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसार करना होगा। एससी / आरसी, आस्तियों की वसूली के लिए एक योजना तैयार करेगी जो आस्तियों के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित उपायों तथा एक विशेष समय-सीमा जो किसी भी हालत में अधिग्रहण की तारीख से 5 वर्ष से अधिक न हो, के भीतर उसकी वसूली के उपायों, का स्पष्ट उल्लेख करेगी।
- एससी / आरसी, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यू आइ बीज़) से इस संबंध में तैयार की गई नीति के अनुसार प्रतिभूति रसीदों को जारी करके, इस प्रयोजन हेतु गठित एक या अधिक न्यासों के माध्यम से निधि में वृद्धि कर सकती हैं। निजी तौर पर शेयर आबंटन आधार पर जारी किए जानेवाली प्रतिभूति रसीदें केवल अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं के बीच ही अंतरित की जा सकती हैं।
- प्रतिभूतिकरण कंपनियां / पुनर्निर्माण कंपनियां किसी प्रायोजक के रूप में अथवा एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के प्रयोजन से किसी दूसरी प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी की इक्विटी शेयर पूँजी में आस्ति पुनर्निर्माण के उद्देश्य से निवेश कर सकती हैं। उपलब्ध अतिरिक्त निधियां सरकारी प्रतिभूतियों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशियों में इस संबंध में उनके निदेशक मंडल द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसार नियोजित की जायेंगी । जमीन तथा भवनों में निवेश उधार की गई निधि से अलग निधि और अथवा न्यूनतम निर्धारित निधि 2 करोड़ रुपये से अधिक स्वाधिकृत निधि से किया जायेगा।
- पूंजी-पर्याप्तता, आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण, निवेश के मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण के विवेकपूर्ण मानदंड ऐसी कंपनियों के तुलन-पत्र में धारित आस्तियों पर लागू होंगे।
- प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी अपने तुलन-पत्र में अंकित आस्तियों को मानक तथा गैर-निष्पादक आस्तियों में वर्गीकृत करेगी तथा पुनः अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों को अवमानक आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों तथा हानिगत आस्तियों में वर्गीकृत करेगी। क्रमशः अवमानक आस्तियों तथा संदिग्ध आस्तियों के संबंध में प्रावधानीकरण क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत (प्रतिभूति के आकलित मूल्य में शमिल नहीं होने वाली आस्तियों के 100 प्रतिशत की सीमा तक) किया जाएगा। हानिगत आस्तियों वाले बट्टे खाते डाला जाए। यदि किसी कारणवश हानिगत आस्तियों को बहियों में बनाये रखा गया है तो उसकी पूर्ण सीमा तक प्रावधान किए जाएं।
- प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा किए गए सभी निवेश मूल्य के निम्न स्तर अथवा वसूली योग्य मूल्य तक मूल्यांकित किए जाएँ।
- प्रतिभूतिकरण कंपनियां / पुनर्निर्माण कंपनियां लगातार जारी आधार पर एक पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखें जो इसकी कुल जोखिम भारिता आस्ति के 15 प्रतिशत से कम न हो।
- प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्निर्माण कंपनियों को *अन्य बातों के साथ - साथ* अपने तुलन-पत्र में प्रकटीकरण करना होगा तथा वित्तीय ब्योरे ब्याज-दर / संभावित लाभ, ब्याज चुकौती योग्य व्यवस्था सहित चुकौतियों के ब्यौरे, ऋण-दर, यदि कोई हो, प्रतिभूति रसीदों का समर्थन करनेवाली आस्तियों का वर्णन आदि के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

ऊपरनिर्दिष्ट कंपनियाँ भी शामिल थीं, ने रिज़र्व बैंक के पास गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वीकृति के लिए आवेदन किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक अधिनियम में दी गई छह वर्ष की अवधि 9 जनवरी, 2003 को समाप्त हो गई, रिज़र्व बैंक को व्यक्तिगत गुणवत्ता तथा पात्रता मानदंडों के पूरा किए जाने के आधार पर सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सभी लंबित आवेदनों पर निर्णय लेना है। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी निधियों तथा संभाव्य निधियों का विनियमन कंपनी कार्य विभाग द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया है और चूँकि सरकार रिज़र्व बैंक के इस प्रस्ताव से सहमत हो गई कि केवल उन्हीं संभाव्य निधियों को रिज़र्व बैंक विनियमन से छूट दी जाए जो 9 जनवरी 1997 तक अस्तित्व में थीं तथा जिन्होंने कंपनी कार्य विभाग के पास निधि स्थिति

बॉक्स VI.3: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा तुलनपत्र प्रकटीकरण

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा तुलन-पत्र में किये जानेवाली प्रकटीकरण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की पर्यवेक्षीय ढाँचे की रूप-रेखा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ-समूह (अध्यक्षः श्री पी.आर. खन्ना) यह सिफारिश की थी कि रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा तैयार किए जानेवाले तुलन-पत्र के फॉर्मेट की दुबारा डिजाइनिंग करने की संभावनाओं का पता लगाया जाए। कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा तेयार किए गये वित्तीय विवरणों के फोर्मेट से मुख्य रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कारोबारी परिचालनों का पता लगाने के लिए बनाया गया था। अतः यह उनके विशेष कारोबारी विशेषताओं को प्रतिबिम्बित नहीं करता। इस मामले की जाँच करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसी ए आई) के अधिकारियों की एक समिति गठित की गई जिसने सितंबर 1999 में यह सिफारिश की थी कि कंपनी अधिनियम में यथा निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के तुलन पत्र का फार्मेट जारी रखा जाए, तुलन-पत्र से संलग्न अनुसूचियाँ तथा लाभ एवं हानि खाते द्वारा गैर-बैंकिंग बैंक वित्तीय मध्यस्थक संस्थाओं के विशेष जोखिम - प्रोफाइल को प्रतिबिम्बित करने के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रारूप निर्धारित किया जाए। इन सिफारिशों पर औद्योगिक संगठनों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ चर्चा की गई। उद्योग जगत के विभिन्न सुझावों तथा अन्य गतिविधियों जैसे कि, आई सीए आई द्वारा जारी गई मानक लेखा प्रणाली तथा सेबी द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों के लिए निगमित शासन हेतु दिशा निर्देश और जमाकर्त्ताओं के संरक्षण के लिए उपायों के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च 2003 से अतिरिक्त अनुसूची संलग्न करें। अतिरिक्त घोषणा में निम्नलिखित मदें शामिल हैं : -

- विभिन्न स्रोतों से तथा विभिन्न लिखतों के माध्यम से सुरक्षित तथा असुरक्षित उधार एवं बकाया राशि।
- असुरक्षित डिबेंचरों के रूप में, अंशतः सुरक्षित डिबेंचरों के रूप में आम जनता की जमा राशियों के अलग-अलग आँकड़े तथा आम जनता की अन्य जमा राशियाँ और प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत अतिदेय राशि।
- सुरक्षित तथा असुरक्षित ऋणों एवं अग्रिमों के अलग-अलग आँकड़े तथा भुनाए गए बिल।
- पट्टे पर दी गई आस्तियों के वित्तीय पट्टे एवं संचालनगत पट्टे के रूप में अलग-अलग आँकड़े।
- किराया स्टॉक तथा पुनर्धारित आस्तियों के अलग-अलग आँकड़े।
- दृष्टिबंधक ऋणों (पट्टे पर दिए गए अथवा किराया खरीद वित्त की गणना के रूप में) के अलग-अलग आँकड़े जहाँ आस्तियाँ पुनर्धारित की गई हैं अथवा अन्य बकाया ऋण।
- वर्तमान उद्धृत एवं गैर-उद्धृत निवेश के अलग-अलग आँकड़े।
- दीर्घावधि उद्धृत एवं और-उद्धृत निवेश के अलग-अलग आँकड़े।
- संबंधित पार्टियों तथा संबंधित पार्टियों से अतिरिक्त को उधारकर्ता समूह-वार ऋण निवेश।
- संबंधित पार्टियों तथा संबंधित पार्टियों से अतिरिक्त को समूह-वार निवेश जोखिम
- संबंधित पार्टियों तथा संबंधित पार्टियों से अतिरिक्त रूप से वसूल करने योग्य सकल गैर- निष्पादक आस्तियों की स्थिति।
- संबंधित पार्टियों तथा संबंधित पार्टियों के अलावा अन्य से वसूल करने योग्य निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ।
- ऋण की संतुष्टि में आधिगृहित आस्तियाँ।

के लिए 9 जनवरी, 2003 के पूर्व आवेदन किया था, रिज़र्व बैंक उक्त आधार पर पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वीकृति के लिए लंबित आवेदनों पर कार्रवाई कर रहा है। वे कंपनियां जिन्होंने कंपनी कार्य विभाग के पास निधि कम्पनी की हैसियत के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा कंपनी कार्य विभाग विनियमों का अनुपालन नहीं कर रही हैं और वे आवेदनपत्र जो कंपनी कार्य विभाग द्वारा निधि कम्पनी की हैसियत के लिए अस्वीकृत किए जा चुके हैं, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में माना जाएगा।

6. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र का कारोबारी स्वरूप

6.30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र का मार्च 2002 के अन्त तक का कारोबारी स्वरूप विस्तृत रूप से दीर्घावधि प्रवृत्ति को दर्शाता है (चार्ट VI.1 तथा सारणी VI.8)। आम जनता की जमाराशियाँ, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों की एक-तिहाई; बनता है, अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के मामले में यह अंश प्रायः अधिक होकर दो-तिहाई है, विशेषकर, दो अग्रणी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में आम जनता की कुल जमा राशि की समस्त राशि के बराबर हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में आम जनता की जमा राशि का हिस्सा (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के अलावा) वर्ष 2001-02 के दौरान तेजी से गिरा है; साथ ही अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के मामले में भी एक मामूली-सी गिरावट आयी है। दीर्घावधि प्रवृत्ति के अनुसरण में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों

चार्ट VI.1 : गै.बैं.वि. कम्पनी क्षेत्र का कारोबार (मार्चांत)

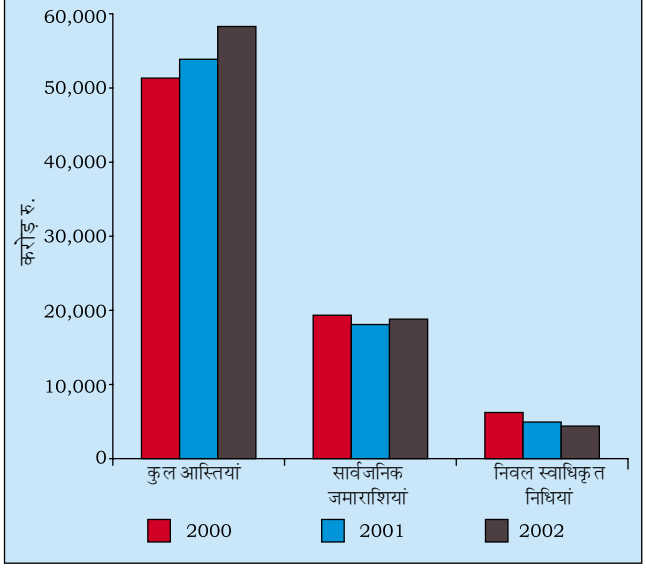

की निवल स्वाधिकृत निधि में भी गिरावट जारी रही। तथापि, अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियां इस क्षेत्र की एक अग्रणी कंपनी द्वारा दर्शायी गयी प्रवृत्ति को दर्शाते हुए धनात्मक हो गयी हैं।

6.31 अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ दीर्घावधि प्रवृत्ति के अनुसरण में अपना शेयर बढ़ाते रहने के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आम

सारणी VI.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र का कारोबारी स्वरूप (31 मार्च तक)

(राशि करोड़ रु में)

मद	2001		2002	
	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जिसमें से अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ		गैर-बैंकिंग कंपनियां वित्तीय जिसमें से अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ	
1	2	3	4	5
रिपोर्ट करने वाली कंपनियों की सं.	981	7	910	5
कुल आस्तियाँ	53,878	16,244 (30.1)	58,290	18,458 (31.7)
सार्वजनिक जमा राशियाँ	18,084	11,625 (64.3)	18,822	12,889 (68.5)
निवल स्वाधिकृत निधि	4,943	- 179	4,383	111

कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े कुल के प्रतिशत अंश हैं।

चार्ट VI.2: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की गतिविधि-वार स्थिति (मार्चांत)

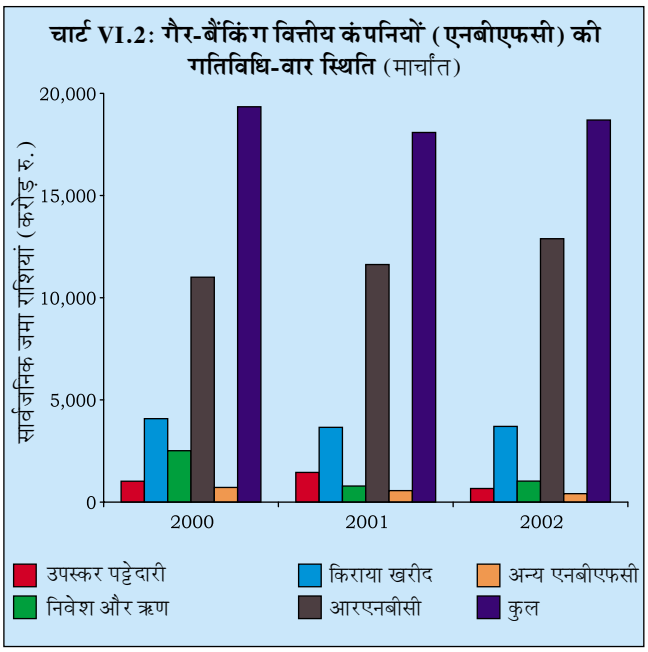

जनता की जमाराशि का एक आवश्यक भाग बनी रही हैं (चार्ट VI.2 तथा सारणी VI.9)। वर्ष 2001-02 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की अन्य श्रेणियों द्वारा जमा राशि संग्रहण की संरचना में बदलाव हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में उपस्कर पट्टेदारी कंपनियों के साथ आम जनता की जमा राशि में तेजी से गिरावट आयी है, जबकि निवेश तथा ऋण कंपनियों की जमा राशियों में वृद्धि हुई।

6.32 रिज़र्व बैंक व्यापक चलनिधि (एल$_3$) पर तिमाही आंकड़े प्रकाशित करता है, जिसमें मुद्रा आपूर्ति : के विश्लेषणात्मक और संकलन की प्रणाली संबंधी कार्यकारी दल (अध्यक्ष : डा. वाइ.वी. रेड्डी) की सिफारिशों के आधार पर बैंकिंग क्षेत्र, डाकघर बैंक, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मौद्रिक और चलनिधिगत देयताओं को समाविष्ट किया जाता है। आंकड़ों के अभाव को देखते हुए कार्यकारी दल ने सिफारिश की थी कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमा का अनुमान 20 करोड़ रुपये और अधिक की सार्वजनिक जमा वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से प्राप्त विवरणियों के आधार पर लगाया जा सकता है। सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमा का अंश एल$_3$ के लगभग 1.0 प्रतिशत पर बना रहा। ऐसे आरंभिक आंकड़ों के आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमा ने 2002-03 के दौरान 0.8 प्रतिशत की थोड़ी-सी वृद्धि दर्ज की (चार्ट VI.3)।

सारणी VI.9 : एनबीएफसी की विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक जमा राशियों की स्थिति

(31 मार्च को)

(राशि करोड़ रुपये में))

कारोबार का स्वरूप	गै.बै.वि.कं.		सार्वजनिक की जमाराशियां		सार्वजनिक की जमाराशियों में अंश (प्रतिशत)))	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002
1	2	3	4	5	6	7
1. उपस्कर पट्टेदारी (इएल)	58	56	1,450	668	8.0	3.5
2. किस्ती खरीद (एचपी)	470	463	3,659	3,709	20.2	19.7
3. निवेश तथा ऋण (आइएल)	170	231	785	1,029	4.4	5.5
4. अगैबैं कम्पनियां	7	5	11,625	12,889	64.3	68.5
5. अन्य अगैबैं कम्पनियां*	276	155	564	528	3.1	2.8
कुल	**981**	**910**	**18,084**	**18,822**	**100.0**	**100.0**

* इसमें विविध गैबैं कम्पनियां, अपंजीकृत गैबैंविकं और गैर-अधिसूचित निधियां आदि शामिल हैं।

चार्ट VI.3: व्यापक चलनिधि (एल$_3$) में एनबीएफसी सार्वजनिक जमा का अंश

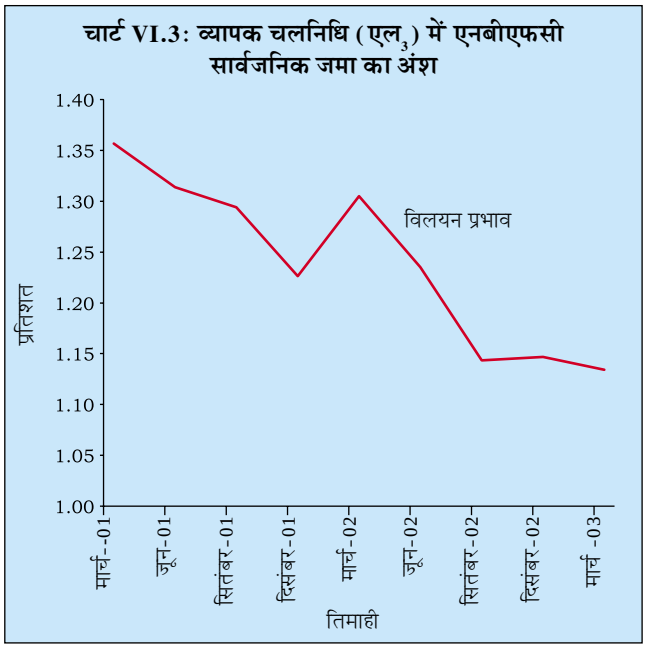

7. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशियों का क्षेत्र-वार स्वरूप

6.33 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के स्थानीय स्वरूप के कार्य उनकी विशेषताओं में से एक है। पूर्वी क्षेत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्थिति के संबंध में पंजीकृत और अपंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियां मार्च 2002 के अंत में सबसे प्रमुख बनी रही जिसका मुख्य कारण है कि अग्रणी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (आरएनसी) कोलकाता में स्थित है (सारणी VI.10)। तथापि, पूर्वी क्षेत्र के अंश में हाल के वर्षों में गिरावट आ रही है, जबकि मध्यवर्ती क्षेत्र का अंश बढ़ रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ लखनऊ - स्थित अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी के तेजी से हो रहे विस्तार को दर्शाती है। मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नै के चार महानगरीय केन्द्रों में मार्च 2002 के अंत में सार्वजनिक जमा में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अंश बृहत्तर बना रहा।

8. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास रखी सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज और परिपक्वता का स्वरूप

6.34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) का ब्याज दर ढांचा 2001-02 के दौरान ह्रासमान बना रहा जो जमा दरों की उच्चतम सीमा में हाल ही में की गयी 350 आधार अंकों की कटौती को दर्शाती है (चार्ट VI.4 और सारणी VI.11)। यह आपूर्ति पक्ष में भारी पूंजीगत आगमों और मांग पक्ष में कम ऋण उठाव के कारण बनी सहज चलनिधि स्थितियों के अनुरूप है। 10-12 प्रतिशत की ब्याज दर सीमा में जमा का अंश 2001-02 के दौरान आये तेज उछाल के कारण 12.5 प्रतिशत की विनियामक सीमा के आस-पास रहा। जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा स्वीकार की गयी उच्च-लागत की जमा की क्रमिक चुकौती की गयी, वहीं 14.0 प्रतिशत और अधिक [5] - पर संविदाकृत प्रलम्बित जमा राशियां काफी मात्रा में कुल जमा राशियों के 20 प्रतिशत पर बनी रहीं। यह उच्च ब्याज दर कमोबेश रूप में बैंक जमा की तुलना में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विशेष रूप से उठाये जानेवाले जोखिम प्रीमियम को भी दर्शाती है। साथ ही, उच्चतर ब्याज दरों के कारण आगे घटती ब्याज दरों की स्थिति में उनकी वाणिज्यिक अर्थक्षमता प्रभावित होती है।

सारणी VI.10 : पंजीकृत और अपंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के क्षेत्र-वार अलग-अलग ब्यौरे

(31 मार्च को)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2001						2002					
	एनबीएफसी			जिसमें से आरएनबीसी			एनबीएफसी			जिनमें से आरएनबीसी		
	संख्या	राशि	प्रतिशत	संख्या	राशि	प्रतिशत	संख्या	राशि	प्रतिशत	संख्या	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तरी	253	575	3	—	—	—	271	554	3	—	—	—
उत्तरपूर्वी	—	—	—	—	—	—	3	4	0	—	—	—
पूर्वी	24	7,932	44	3	7,642	66	21	8,051	43	3	7,812	61
मध्यवर्ती	126	4,105	23	3	3,980	34	94	5,207	28	2	5,077	39
पश्चिमी	81	2,041	11	—	—	—	70	1,467	7	—	—	—
दक्षिणी	497	3,432	19	1	4	0.0	451	3,538	19	—	—	—
कुल	**981**	**18,084**	**100**	**7**	**11,625**	**100**	**910**	**18,822**	**100**	**5**	**12,889**	**100**
महानगरीय शहर												
मुंबई	62	2,011	11	—	—	—	52	1,445	8	—	—	—
चेन्नै	349	2,918	16	—	—	—	317	3,183	16	—	—	—
कोलकाता	23	7,929	44	3	7,642	66	21	8,051	43	3	7,812	61
नई दिल्ली	114	492	3	—	—	—	111	460	2	—	—	—
कुल	**548**	**13,350**	**74**	**3**	**7,642**	**66**	**501**	**13,139**	**69**	**3**	**7,812**	**61**

[5] गैबै एनबीएफसी द्वारा जनता की जमाराशियों पर दी गयी ब्याज दर की उच्चतम सीमा 31 मार्च 2001 तक 16 प्रतिशत थी।

चार्ट VI.4: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमा राशियों पर अदा की गयी ब्याज दर की स्थिति

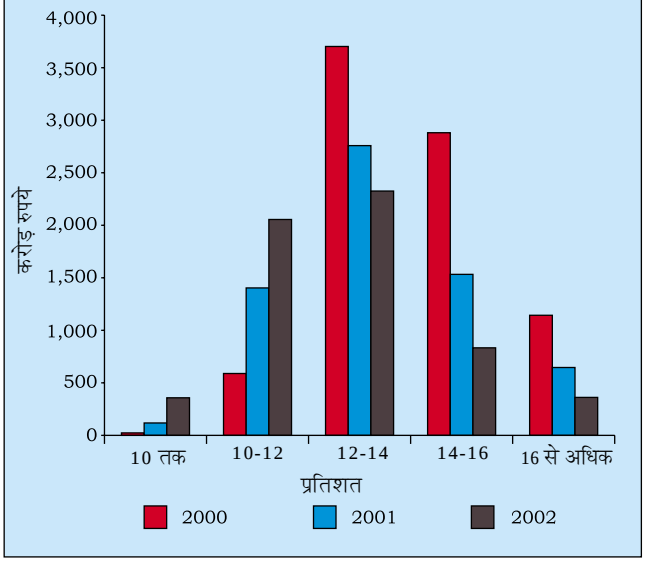

6.35 वित्तीय उप-क्षेत्र के रूप में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां विविधता-पूर्ण संस्थाओं का समुच्चय है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता का स्वरूप अल्पवधि का रहा, विशेषतः पहले की जुटायी गयी उच्च-लागत की जमाराशियों की चुकौती के कारण (सारणी VI.12)। विशेषतः तीन वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली सार्वजनिक जमाराशियों के अंश में एकरूपता से काफी गिरावट आयी जो अंशतः ब्याज दरों में रिकार्ड-तोड़ कमी के कारण जमाकर्ताओं में दीर्घावधि की प्रतिबद्धता करने में पायी गयी अरुचि से परिलक्षित होती है। वर्ष 2001-02 के दौरान 2 से 3 वर्ष की परिपक्वतावाली सार्वजनिक जमा में आयी वृद्धि अन्य अधिकांश परिपक्वता समूहों में आयी गिरावट से प्रति-संतुलित हुई।

सारणी VI.11: ब्याज दर के अनुसार एनबीएफसी (आरएनबीसी को छोड़कर) की सार्वजनिक जमाराशियों की स्थिति (31 मार्च को)

(राशि करोड़ रुपये में)

ब्याज सीमा (प्रतिशत)	जमा की राशि		कुल जमा के प्रति प्रतिशत	
	2001	2002	2001	2002
1	2	3	4	5
10 तक	118	358	1.8	6.0
10-12	1,404	2,055	21.8	34.6
12-14	2,759	2,326	42.7	39.2
14-16	1,533	833	23.7	14.0
16 से अधिक	646	361	10.0	6.1
कुल	**6,460**	**5,933**	**100.0**	**100.0**

सारणी VI.12: एनबीएफसी (आरएनबीसी को छोड़कर) द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का परिपक्वता स्वरूप

(राशि करोड़ रुपये में)

परिपक्वता अवधि	31 मार्च तक सार्वजनिक जमा की राशि		कुल के प्रति प्रतिशत	
	2001	2002	2001	2002
1	2	3	4	5
1 वर्ष से कम	1,721	1,483	26.7	25.0
1- 2 वर्ष	1,741	1,419	27.0	23.9
2- 3 वर्ष	2,038	2,198	31.5	37.0
3- 5 वर्ष	842	779	13.0	13.1
5 वर्ष और अधिक	118	54	1.8	0.9
कुल	**6,460**	**5,933**	**100.0**	**100.0**

6.36 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सार्वजनिक जमा पर प्रस्तावित उच्चतम दर में मार्च 2000 से 500 आधार अंकों की गिरावट आयी है। इसके परिणामस्वरूप, बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमा में अंतर हाल के वर्षों में कम हो गया है (सारणी VI.13)। यह विनियामक दिशा-निर्देशों और जोखिम प्रीमियम की प्रवृत्ति के अनुसार है।

9. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्ति संबंधी स्थिति

6.37 उनकी संख्या बहुत अधिक न होने के बावजूद गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में कुछ बड़ी कंपनियाँ प्रबल रही हैं। 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक की आस्ति आधार वाली बीस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने 2001-02 में अपने अंश में आयी अधिक वृद्धि के साथ कुल आस्तियों में अपना अधिकांश भाग बनाये रखना जारी रखा (सारणी VI.14)। अधिकतर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का आकार 10 करोड़ रुपये से कम है। जहां, लघुतर

सारणी VI.13: बैंक और एनबीएफसी जमाराशियों पर अधिकतम / उच्चतम ब्याज दर

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

	ब्याज दर / मार्च	2000	2001	2002	2003
	1	2	3	4	5
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की 1-3 वर्ष की परिपक्वतावाली जमाराशियों पर अधिकतम ब्याज दर	10.5	9.5	8.5	6.75
2.	एनबीएफसी के लिए ब्याज दर की उच्चतम सीमा	16.0	14.0	12.5	11.0
3.	अंतर (2-1)	5.5	4.5	4.0	4.25

टिप्पणी :- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की 1-3 वर्ष की परिपक्वतावाली जमाराशियों के संबंध में ब्याज दर की उच्चतम सीमा और एनबीएफसी जमाराशियों की उच्चतम दर सीमा में भिन्नता के रूप में अंतर की गणना की जाती है।

सारणी VI.14: एनबीएफसी (आरएनबीसी* को छोड़कर)* की आस्तियों की स्थिति

(31 मार्च को)

(राशि करोड़ रुपये में)

आस्तियों की श्रेणी		सूचना देनेवाली कंपनियों की संख्या		आस्तियां		कुल आस्तियों के प्रति प्रतिशत	
		2001	2002	2001	2002	2001	2002
	1	2	3	4	5	6	7
1.	0.25 से कम	62	51	7	5	0.0	0.0
2.	0.25 - 0.50	91	88	35	33	0.1	0.1
3.	0.50 - 2	389	383	421	416	1.1	1.0
4.	2 - 10	280	247	1,193	1,076	3.2	2.7
5.	10 - 50	89	74	1,981	1,594	5.3	4.0
6.	50 - 100	15	19	1,019	1,341	2.7	3.4
7.	100 - 500	28	23	7,130	5,962	18.9	15.0
8.	500 से अधिक	20	20	25,848	29,406	68.7	73.8
	कुल	**974**	**905**	**37,634**	**39,833**	**100.0**	**100.0**

* सूचना देनेवाली एनबीएफसी (आरएनबीसी को छोड़कर) पर 31 मार्च 2001 और 2002 को उनकी आस्तियों की मात्रा के आधार पर विनियमित किया गया है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनिया अक्सर स्थानीय ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने में विशेषज्ञ होती हैं, वहीं अधिकांश कंपनियों रिज़र्व बैंक के लिए विनियामक चुनौती बनी रहती हैं।

10. गतिविधियों के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का वितरण

6.38 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को छोड़कर) की आस्तियों का मुख्य अंश उनकी विशेषज्ञतावाले क्षेत्र अर्थात किराया खरीद और उपस्कर पट्टेदारी के रूप में ही बना रहा। वर्ष 2001-02 के दौरान उपस्कर पट्टेदारी के बजाय ऋण और अंतर-कंपनी जमा के पक्ष में संविभाग विनियोजन हुआ जिससे अन्य बातों के साथ-साथ अंशतः आर्थिक गतिविधि में मन्दी और कराधार में परिवर्तन परिलक्षित होते हैं (सारणी VI.15)।

11. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लिये गये उधार

6.39 उधार लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) द्वारा लिये गये उधारों का स्रोतवार स्वरूप कमोबेश मार्च 2001 और 2002 के समाप्त के समान ही रहा (सारणी VI.16) । बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार देने के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरे हैं और उनके कुल उधारों का लगभग एक तिहाई भाग उनसे (बैंकों से) प्राप्त हुआ है - वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनका निधीयन 2000-01 के 16.2 प्रतिशत के और ऊपर बढ़कर 2001-02 में 20.8 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि आंशिक रूप से सहज चलनिधि की स्थितियों के कारण हुई। अंतर-कंपनी उधारों में आयी गिरावट अन्य स्रोतों जैसे कर्मचारियों से जमानत जमाराशियां और कॉशन मनी, आबंटन राशि, म्युचुअल फंडों और निदेशकों से लिये गये उधारों में हुई वृद्धि से पूरी हो गयी।

सारणी - VI.15 : एनबीएफसी (आरएनबीसी) को छोड़कर की आस्तियों का गतिविधि-वार वितरण

(31 मार्च को)

गतिविधि	राशि करोड़ रुपये में		कुल के प्रति प्रतिशत	
	2001	2002	2001	2002
1	2	3	4	5
ऋण और अंतर -कंपनी जमाराशियाँ	10,271	13,710	27.3	34.4
निवेश	4,344	4,334	11.5	10.9
किराया खरीद	12,887	13,202	34.2	33.1
उपस्कर पट्टेदारी	4,681	3,112	12.4	7.8
बिल	788	673	2.1	1.7
अन्य आस्तियां	4,663	4,802	12.4	12.1
कुल	**37,634**	**39,833**	**100.0**	**100.0**

सारणी VI.16 : गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) द्वारा लिये उधारों का वर्गीकरण

(31 मार्च को)

(राशि करोड़ रुपये में)

स्रोत	बकाया		कुल का प्रतिशत	
	2001	2002	2001	2002
1	2	3	4	5
केन्द्रीय/राज्य सरकारों से लिया गया उधार@	3,041	3,353	13.5	14.0
विदेशी स्रोतों से लिया गया उधार*	670	670	3.0	2.8
अन्तर-कम्पनी उधार	2,866	1,996	12.6	8.3
परिवर्तनीय अथवा रक्षित डिबेंचरों के निर्गम से जुटाई मुद्रा, बैंकों द्वारा अंशदान सहित	3,758	4,180	16.7	17.4
बैंकों से उधार	6,545	7,918	29.0	33.0
वित्तीय संस्थाओं से उधार	1,694	1,546	7.5	6.4
वाणिज्यिक पत्र	627	781	2.8	3.3
अन्य#	3,358	3,555	14.9	14.8
जोड़	**22,559**	**24,000**	**100.0**	**100.0**

@ मुख्यतः राज्य सरकार के स्वामित्व की कम्पनियों द्वारा

* विदेशी साझेदार एवं संस्थागत निवेशकों (एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आदि) से प्राप्त राशि। प्रमुख राशि बुनियादी संरचना व पट्टेदारी कम्पनियों में है।

\# कर्मचारियों से प्रतिभूति जमा, जमानत राशि, आबंटन राशि, पारस्परिक निधियों स उधार निदेशकों आदि से उधार की राशि शामिल हैं।

12. प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की देयताएं और आस्तियां

6.40 मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्य दल द्वारा निधारित की गयी विवरणियों के आधार पर 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक की सार्वजनिक जमाराशियां रखनेवाली कम्पनियों के पास (इस क्षेत्र की कुल आस्तियों के तीन चौथाई के बराबर) थी। इन प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को छोड़कर) के कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख आंकड़े वर्ष 2002-03 में अब उपलब्ध हैं। 2001-02 और 2002-03 में प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की आस्तियों और देयताओं की संरचना दर्शाती है कि जनता जमाराशियों में भारी गिरावट आयी है (सारणी VI.17)। इस कमी की पूर्ति ज्यादातर बैंक ऋणों से की गई जिसका मुख्य प्रेरक आंशिक रूप से बैंकों की नरम उधार दरें थीं। निधियों के विनियोजन कंपनी बांडों और प्रतिभूतियों और अन्य आस्तियों में निवेश में वृद्धि हुई जो पट्टे पर उपकरण देने के कारोबार में फिर से क्षेत्रवार प्रवृत्तियों में आयी गिरावट के अनुसरण के ठीक विपरीत थी। औद्योगिक गतिविधि में सुधार में आई प्रतिक्रिया में 2002-03 में ऋण और अग्रिमों में फिर से उछाल आया।

13. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के आय-व्यय का विवरण

6.41 एक क्षेत्र के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने लगातार दूसरे वर्ष भी 2001-02 में घाटा दिखाया क्योंकि व्यय में गिरावट निधि आधारित और शुल्क आधारित आय में आयी गिरावट के साथ कदम से कदम न मिला सकी (चार्ट VI.5 और सारणी VI.18)। निधि आय में आयी गिरावट हाल ही के वर्षों में खास तौर पर काफी तेज रही है। कुल व्यय में बहुत तेज गिरावट नहीं आयी, क्योंकि परिचालन व्यय और कर-प्रावधानों की प्रवृत्ति स्थिर बने रहने की रही। तथापि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की परिचालन लागत लगातार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की तुलना में काफी ऊंची बनी रही।

14. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधियां

6.42 वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षी ढांचा उद्यम लाभ (लीवरेजिंग) को प्रतिबंधित करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधियों की पर्याप्तता पर विशेष जोर देता है। निवल स्वाधिकृत निधियों की तुलना में सार्वजनिक जमाराशियों का अनुपात, जो अपने संसाधनों से अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने की योग्यता का एक पैमाना है, में 2001-02 में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। (सारणी VI.19)। लगातार चिंता का प्रमुख विषय यह था कि सूचना देनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अवशिष्ट गैर-बैंक को छोड़कर) की एक बहुत बड़ी संख्या जिसके पास मार्च 2002 के अंत में लगभग एक पांचवां जनता की जमाराशियों का हिस्सा है, उनकी निवल स्वाधिकृत निधियां नकारात्मक थीं, अर्थात कम हो गयीं।

15. पूंजी-पर्याप्तता अनुपात

6.43 निवल स्वाधिकृत निधियों के अलावा, पूंजी-पर्याप्तता मानदण्ड[6], जो 1998 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए अनिवार्यतः किये गये थे, वित्तीय स्थिरता को मजबूत बनाने की सुरक्षात्मक कड़ी की दूसरी पंक्ति

[6] गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को यह अपेक्षित है कि वे टियर-I और टियर-II पूंजी बनाये रखें जो उसकी सकल जोखिम भारित आस्तियों और तुलनपत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के (क) 31 मार्च 1998 को या उसके पहले 10 प्रतिशत और (ख) 31 मार्च 1999 को या उसके पहले 12 प्रतिशत से कम न हों। किसी भी समय कुल टियर-II पूंजी कुल टियर-I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सारणी VI.17 : 20 करोड़ रु. और अधिक की सार्वजनिक जमाराशि धारक कम्पनियों की आस्तियां व देयताएं

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	31 मार्च 2002		31 मार्च 2003	
	राशि	कुल के प्रति अंश (प्रतिशत)	राशि	कुल के प्रति अंश (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
देयताएं				
प्रदत्त पूंजी	1,632	5.5	1,693	6.4
भाररहित प्रारक्षित निधि	3,133	10.5	1,325	5.0
सार्वजनिक जमाराशियां	4,503	15.1	3,686	14.0
(i) एक वर्ष से कम परिपक्वता	1,860	6.2	1,542	5.9
(ii) 1 वर्ष अथवा अधिक	2,643	8.8	2,144	8.1
परिवर्तनीय डिबेंचर	3,948	13.2	3,755	14.2
अन्य उधार राशियां	9,575	32.0	8,675	32.9
(i) बैंकों से	7,108	23.8	6,785	25.7
(ii) अन्तर-कम्पनी जमा	1,985	6.6	1,428	5.4
(iii) विदेशी सरकार	483	1.6	462	1.8
अन्य देयताएं	7,103	23.8	7,222	27.4
कुल देयताएं	29,895	100.0	26,355	100.0
आस्तियां				
निवेश	3,302	11.0	2,696	10.2
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	610	2.0	492	1.9
(ii) कम्पनी क्षेत्र-शेयर बाण्ड, डिबेंचर	2,584	8.6	2,025	7.7
(iii) अन्य	108	0.4	179	0.7
ऋण और अग्रिम	8,592	28.7	8,576	32.5
अन्य वित्तीय आस्तियां	12,081	40.4	10,255	38.9
(i) किराया खरीद	9,556	32.0	8,571	32.5
(ii) उपस्कर पट्टेदारी	2,077	6.9	1,546	5.9
(iii) बट्टेदारी बिल	448	1.5	139	0.5
अन्य आस्तियां	5,920	19.8	4,828	18.3
कुल आस्तियां	**29,895**	**100.0**	**26,355**	**100.0**

चार्ट VI.5: गै.बैं.वि.कं. का कार्य-निष्पादन (अ.गै.बैंक को छोड़कर)

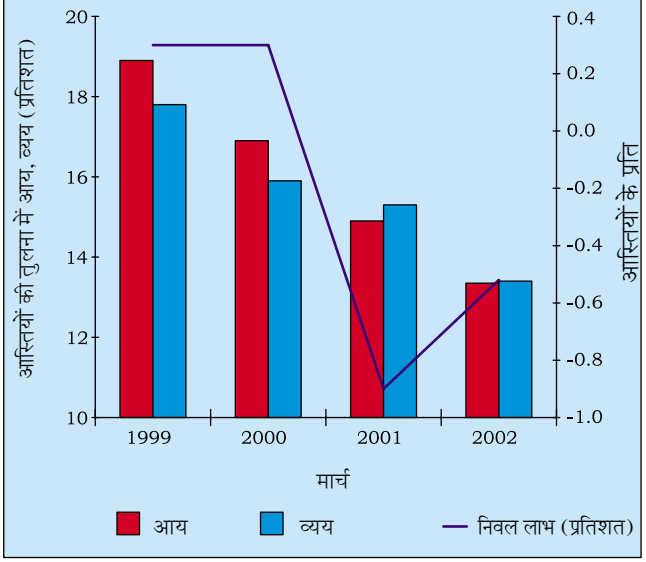

है। रिपोर्ट करनेवाली कंपनियों में से करीब 30 प्रतिशत से ज्यादा का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2002 और मार्च 2001 के अंत में न्यूनतम सांविधिक निर्धारण से बहुत ज्यादा है (सारणी VI.20)।

16. गैर-निष्पादक आस्तियां

6.44 रिपोर्टिंग गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सकल और निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में हाल के वर्षों में निरन्तर गिरावट आई है (सारणी VI.21)

17. प्राथमिक व्यापारी

6.45 प्राथमिक व्यापारी प्रणाली विगत आठ वर्षों से कार्यरत है। वर्ष 2002-03 में प्राथमिक व्यापारियों ने सरकारी प्रतिभूति बाजारों अपने कार्य के सुदृढ़ बनाना जारी रखा (सारणी VI.22)। सभी प्राथमिक व्यापारियों ने 2002-03 के दौरान लाभ दर्ज किया (परिशिष्ट सारणी VI.1)। पिछले दो वर्षों के दौरान कुल आस्तियों में सरकारी

सारणी VI.18 : गैबैंविकं (अवगैबैंक को छोड़कर) के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

संकेतक	2000-01	2001-02	2001-02 के दौरान घट बढ़	
			वास्तविक	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**5,619**	**5,357**	**-262**	**-4.7**
i) निधि आधारित	5,247	5,005	-242	-4.6
ii) शुल्क आधारित	372	352	-20	-5.4
ख. व्यय (i+ii+iii)	**5,741**	**5,321**	**-420**	**-7.3**
i) वित्तीय	3,400	3,297	-103	-3.0
ii) परिचालनगत	1,164	1,225	61	5.2
iii) अन्य	1,177	799	-378	-32.1
ग. कर-प्रावधान	**203**	**248**	**45**	**22.2**
घ. निवल लाभ	**-325**	**-212**	**113**	
ङ कुल आस्तियां	**37,634**	**39,833**	**2,199**	**5.8**
च.वित्तीय अनुपात (कुल आस्ति से प्रतिशत के रूप में)				
आय	14.9	13.4	-1.6	
निधी से आय	13.9	12.6	-1.3	
शुल्क से आय	1.0	0.9	-0.1	
व्यय	15.3	13.4	-1.9	
वित्तीय व्यय	9.0	8.3	-0.7	
परिचालनगत व्यय	3.1	3.1	- 0.0	
अन्य व्यय	3.1	2.0	-1.1	
कर-प्रावधान	0.5	0.6	0.1	
निवल लाभ	-0.9	-0.5	0.4	

प्रतिभूतियों के भाग में तेज वृद्धि हुई हे जो पिछले दो वर्षों के दौरान श्रेष्ठ प्रतिभूतियों के मूल्यों में जारी वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश संविभाग को बढ़ाने के प्रति बढ़ती रुचि को प्रदर्शित करता है। तथापि, सरकारी वाणिज्यिक पत्रों के प्राथमिक निर्गमों का उठाव मामूली रूप से कम था जो यह दर्शाता है कि अन्य निवेशकों ने आक्रामक रूप से बोलियां लगाई। जबकि मांग मुद्रा उधार वित्त के स्थिर स्रोत बने रहे। प्राथमिक व्यापारियों द्वारा चलनिधि सहायता का औसत दैनिक उपयोग 2001-02 के दौरान उनकी उपयोग सीमाओं से काफी कम था और विशेष रूप से मांग दरें आश्चर्यजनक रूप से बैंक दर से कम बनी रहीं।

सारणी VI.19 : सार्वजनिक जमाराशियां की तुलना में गैबैंविकं की निवल स्वाधिकृत निधियां (अवशिष्ट गैरबैंक कंपनी को छोड़कर) (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

निस्वनि का दायरा	2001				2002			
	रिपोर्टिंग कम्पनियों की सं.	निस्वा निधी	सार्वजनिक जमा	निस्वानि के गुणकों में सार्व. जमा	रिपोर्टिंग कम्पनियों की सं.	निस्वा निधी	सार्वजनिक जमा	निस्वानि के गुणकों में सार्व. जमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.25 तक	225	-859	807	—	214	-1,351	1,120	—
0.25 – 0.50	346	116	188	1.6	300	103	128	1.2
0.50 – 5.0	305	498	692	1.4	298	477	361	0.8
5 – 10	34	224	94	0.4	30	204	80	0.4
10 – 50	37	775	777	1.0	38	798	718	0.9
50 – 100	12	804	924	1.1	11	798	846	1.1
100 – 500	14	3,063	2,299	0.8	14	3,243	2,680	0.8
500 से अधिक	1	501	679	1.4	—	—	—	—
कुल	**974**	**5,122**	**6,460**	**1.3**	**905**	**4,272**	**5,933**	**1.4**

सारणी VI.20 : सूचना देनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सीआरएआर

(31 मार्च तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

गै.बैं.वि.कं.संवर्ग/सीआरएआर (प्रतिशत में)	10 से कम	10-12	12-15	15-20	20-30	उनसे अधिक
1	2	3	4	5	6	7
मार्च 2001						
उपस्कर और पट्टेदारी	9	1	1	4	8	30
किराया खरीद	22	1	5	29	58	313
ऋण/निवेश	23	2	2	5	15	180
अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां	2	1	0	0	1	2
कुल	**56**	**5**	**8**	**38**	**82**	**525**
मार्च 2002						
उपस्कर और पट्टेदारी	10	0	1	4	9	32
किराया खरीद	17	0	8	32	54	334
ऋण/निवेश	15	0	1	9	11	121
अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां	1	0	0	1	1	2
कुल	**43**	**0**	**10**	**46**	**75**	**489**

6.46 औसत निवल मालियत पर प्रतिलाभ और औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ दोनों ही अर्थों में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन 2001-02 की तुलना में 2002-03 में कम रहा। यह दो कारकों द्वारा संचालित था :

- यद्यपि वर्ष के दौरान आय लगातार कम रही लेकिन बाजार मूल्य से कम मूल्य पर प्रतिभूतियों के मूल्य को अंकित करने और ट्रेडिंग मार्जिन में कमी की प्रवृत्ति में गिरावट आयी। 10 वर्षीय और 20 वर्षीय परिपक्वतावाली प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ पिछले वर्ष के क्रमशः 287 और 311 आधार अंकों की तुलना में 2002-03 के दौरान क्रमशः लगभग 115 और 123 आधार अंक गिरा।
- मध्य एशिया में सैनिकी कार्रवाई के कारण प्रतिलाभों ने विपरीत रुख अपनाया तब हानि-रोक सीमाओं के उत्पन्न होने पर स्थिति को छोड़ते समय प्राथमिक व्यापारियों का वर्ष के दौरान अपनी प्रोद्भूत आय का एक हिस्सा गंवाना पड़ा।

सारणी VI.21 : गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की गैर-निष्पादक आस्तियां

(ऋण जोखिम का प्रतिशत)

निम्नलिखित अवधि के अंत में	सकल गैर-निष्पादक आस्तियां	निवल गैर-निष्पादक आस्तियां
1	2	3
मार्च 1998	11.4	6.7
सितंबर 1998	6.4	4.1
मार्च 1999	10.2	7.0
सितंबर 1999	7.7	4.4
मार्च 2000	9.9	9.5
सितंबर 2000	10.0	6.3
मार्च 2001	11.5	5.6
सितंबर 2001	12.0	5.8
मार्च 2002	10.6	3.9
सितंबर 2002	9.7	4.3

6.47 प्राथमिक व्यापारियों ने जोखिम भारित आस्तियों से पूंजी का अनुपात सकल जोखिम भारित आस्तियों के 15 प्रतिशत की न्यूनतम पूंजी से बहुत ज्यादा बनाये रखा जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम शामिल हैं (परिशिष्ट सारणी VI.2)। बाजार जोखिम पूंजी अनुमानित मानकीकृत माडल या जोखिम पर मूल्य पद्धति के अधिकतम पर बनाये रखी गयी है।

6.48 समग्र सी आर ए आर मार्च 2002 के अंत के 38.4 प्रतिशत से मार्च 2003 के अंत में 29.7 प्रतिशत पर आ गया। यह अधिकार इराक युद्ध के खतरे (2003 के प्रारंभ) और भारतीय सीमाओं पर तनावों (मई 2002) के परिणामस्वरूप जोखिम मूल्य मापन में आई अस्थिरताओं में ऊंची बाजार जोखिम फैक्टरिंग के कारण था। तथापि, कुल आस्तियों में सरकारी प्रतिभूतियों के हिस्से में सतत वृद्धि तुलनपत्र से इतर जोखिम के स्वरूप में कमी दर्शाती है।

सारणी VI.22 : प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा संकेतक

(मार्चांत)

(राशि करोड़ रुपये में)

चर	2001	2002	2003
1	2	3	4
प्राधिकृत व्यापारियों की संख्या	15	18	18
कुल पूंजी निधियां	3,184	4,371	5,055
सी आर ए आर (प्रतिशत)	40.9	38.4	29.7
कुल आस्तियां (चालू देयताओं और प्रावधानों को घटाकर)	14,772	15,305	17,378
जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां कुल आस्तियों से सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिशत के रूप में औसत	10,401	12,217	14,573
	70	80	84
आस्तियों पर प्रतिलाभ	—	8.4	6.6
औसत निवल मालियत पर प्रतिलाभ	—	38.7	24.2
चलनिधि समर्थन सीमाएं	6,000	4,000 (सामान्य)	3000 (सामान्य)
		2,000 (बॅक स्टाप)	1500 (बॅक स्टाप)

18. अन्य गतिविधियां

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संबंध में निदेशकों और पते में परिवर्तन, आदि संबंधी सूचना

6.49 प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (सरकारी कंपनियों सहित चाहे वे जमाराशियां धारित / स्वीकार करती हैं या नहीं) उसके पंजीकृत कार्यालय के पते में, निदेशकों, प्रधान अधिकारियों, प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ताओ और लेखा-परीक्षकों के नामों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना उस घटना के घटित होने के 30 दिन के भीतर सूचित करना अनिवार्य है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनीयों के संबंध में अनौपचारिक परामर्शी समूह से संबंधित गतिविधियां

6.50 वर्ष 1998 में रिज़र्व बैंक द्वारा गठित अनौपचारिक परामर्शी समूह के रूप में एक संस्थागत निर्णयन व्यवस्था अनेक नीतिगत निर्णय लेने, नियंत्रक उपाय करने तथा निर्देशों, लेखांकन प्रक्रियाओं और नीतियों में संशोधन करने में अत्यंत उपयोगी पाई गई है। यह समूह विनियामक ढांचे के अनुपालन में आनेवाली कठिनाइयों से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है और व्यावसायिक निकायों, विशेषज्ञों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से स्वयं परामर्श लेने के एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस समूह के कार्यकाल और इसके संविधान की प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। इस समूह में रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के अलावा आइ सी ए आइ, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की एक क्षेत्रीय और दो शीर्ष - स्तरीय संघों में से प्रत्येक एक प्रतिनिधि रहता है। वर्ष 2002-03 के दौरान इस समूह की दो बैठकें आयोजित हुईं।

जमाकर्ता संरक्षण

6.51 विशेषरूप से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की भारी संख्या और विविध आकारों को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने जमाकर्त्ताओं के हितार्थ अनेक उपाय किये हैं। इन उपायों निम्नलिखित शामिल है :

- वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु कानून बनाने की पैरवी करके कानूनी प्रक्रिया का उन्नयन;
- जमाकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करके व्यापक विज्ञापन अभियान के ज़रिये अधिक पारदर्शिता ; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्मिकों / कार्यपालकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि उन्हें रिज़र्व बैंक के विनियमों के उद्देश्यों उनकी उत्पत्ति और फोकस से परिचित कराया जा सके, राज्य सरकारों के सिविल और पुलिस कर्मियों के लिए सेमिनार और आइ सी ए आइ के सहयोग से लेखा-परीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम / सेमिनार ताकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के लागू निर्देशों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू रिज़र्व बैंक के निर्देशों और विनियमों से उन्हें परिचित करवाना; और

अन्य नियंत्रकों जैसे कंपनियों के पंजीयकों, केन्द्र सरकार के कंपनी कार्य विभाग के साथ-साथ राज्य सरकारों के सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें करके अंतर-नियंत्रक समन्वय को सुदृढ़ बनाकर पर्यवेक्षण की प्रभावशालिता बढ़ाना।

वेब परियोजना

6.52 एक वातावरण सृजित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक वेब परियोजना प्रारंभ की है जिसमें जमाराशियां स्वीकार करनेवाली सभी गैबेंविकं अपनी विनियामक विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत कर सकेंगी । इस परियोजना के पीछे उद्देश्य यह है कि रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर किया जानेवाला आंकड़ा प्रविष्टि के समय-खपाऊ कार्य की आवश्यकता ही न पड़े। इस योजना में परिकल्पित है कि गैबैंविकं रिज़र्व बैंक की वेबसाइट को इंटरनेट पर लाग ऑन करेगी, रिपोर्ट करने के लिए निर्दिष्ट प्रोफार्मा ढूंढेगी/लेंगी और उन फार्मेटों को अपनी सुविधानुसार आनलाइन या ऑफ लाइन भरेगी और वेव सर्वर को वह विवरणी प्रस्तत कर देगी। इस परियोजना को निष्पादित करने के लिए एक वेव आधारित ऑसमॉश पैकेज विकसित किया गया है और उसे बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान सस्थान (आइडीआरवीटी), हैदराबाद में इस वेव सर्वर पर लोड़ किया गया है तथा इस सर्वर को http.dnbsco.infine.org.in पर इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। इंटरनेट पर स्थानीय और रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से इस पैकेज का सफल परीक्षण किया गया है और अब यह पैकेज बग्स और सुरक्षा संबंधी धमकियों से मुक्त है। रिज़र्व बैंक गैबैंविकं. को इस परियोजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।